राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6]   दसवीं विधान सभा के छठे सत्र का पहला दिवस   [संख्या : 1

गुरुवार,

7 मार्च, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.55 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन ।)

राष्ट्र गीत

श्री अध्यक्ष : राष्ट्र गीत ।

(वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् । मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् मातरम् । वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी ।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी ।
सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम मातरम् ।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ।

सचिव, राजस्थान विधान सभा (**श्री बंशीलाल गुप्ता**) : महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें ।)

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति महोदय/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

महोदय, मैं दसवीं राजस्थान....

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां अभी सदस्यों को उपलब्ध ही नहीं हुई हैं ।

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री बंशीलाल गुप्ता) : महोदय, मैं दसवीं राजस्थान विधान सभा के गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995

(श्री बंशीलाल गुप्ता)

2. राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1995
3. राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995
4. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995
5. राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1995
6. राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1995

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1996

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री, राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश संख्या–1) सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश संख्या–1) सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आर्डिनेंस लाया गया था, उस आर्डिनेंस को रेक्टिफाई करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने आज सदन के पटल पर यह आर्डिनेंस रखा है । दो बातें मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं । यह अधिनियम 1995 में बनाया और जनवरी, 1996 में उसमें आर्डिनेंस ला दिया । आर्डिनेंस में चीफ जस्टिस आफ राजस्थान के परामर्श से जो ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष चुना जाना था उसको हटा दिया गया । एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, बावजूद हवाला कांड में फंसने के, न्यायाधीशों में और इस देश की न्यायपालिका में विश्वास व्यक्त करते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्य मंत्री दिये हुए अधिकारों को भी मुख्य न्यायाधीश से छीनकर वापस अपने पास लेना चाहते हैं । यह दोमुंही बातें, यह जो आप सदन से करवाना चाहते हैं उसके पीछे तात्पर्य क्या है ? मैं सरकार का तात्पर्य जानना चाहता हूं कि आखिर वह ऐसे कौनसे कारण थे जिनमें कि मुख्य न्यायाधीश को आइसोलेट कर दिया गया ? उनसे परामर्श लेना बन्द करने के लिए ही आप यह आर्डिनेंस लेकर आये हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उसका उत्तर मैं बाद में दूंगा ।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के पूर्व राज्यपाल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री देवकांत बरुआ, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एन. टी. रामाराव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रकाश चन्द्रजी सेठी, विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री महेन्द्र कुमार परमार, श्री नारायण सिंह डिग्गी, श्रीमती इकबाल कौर, सुश्री पुष्पा जैन, श्री सूरमा राम, श्री गिरधारीलालजी व्यास, श्री हीरा भाई,

(13.00)

श्री गणेशलालजी, श्री लालारामजी मेघवाल, श्री सूर्यमलजी मौर्य के निधन के प्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। उन सबको मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनको शांति मिले, इस दृष्टि से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथ ही ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, श्री देवकांत बरुआ बिहार के राज्यपाल ही नहीं रहे, केन्द्रीय सरकार में कई उच्च पदों पर आसीन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र और राजनैतिक क्षेत्र में उनकी सेवा की कई उपलब्धियां रही हैं। एक बहुत ही विद्वान पुरुष थे जिन्होंने आसाम में जन्म लिया था। जन्म लेने के साथ ही राजनैतिक गतिविधियों में शामिल हुए, देश की सब प्रकार से उन्होंने सेवा की। उनका निधन हम सबके लिए दुःख का विषय है इस कारण मैं ऐसा समझता हूं कि सदन उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे।

श्री एन. टी. रामाराव आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। वे दो बार आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। उसके पहले सिनेमा जगत के एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में, एक फिल्म निर्माता के रूप में, कई प्रकार की कलात्मक कार्यवाहियों के कारण आन्ध्र प्रदेश की जनता में इतने लोकप्रिय थे कि अचानक राजनीति में कूदे, उस समय शायद लोगों को इस बात का विश्वास भी नहीं था कि उनको राजनैतिक क्षेत्र में इतनी सफलता मिलेगी। एक बार मुख्य मंत्री बनने के बाद दूसरी बार जब वे मुख्य मंत्री बने उस अंतराल में भी उस व्यक्ति की लोकप्रियता में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। वे पुनः मुख्य मंत्री बने। वे हमारे बीच से उठ गये। वे जनता में आज भी कितने प्रिय हैं, आन्ध्र की जनता इस बात को अच्छी तरह से महसूस करती है।

श्री प्रकाश चन्द्र जी सेठी का जन्म राजस्थान के झालावाड़ जिले में संभवतः झालरापाटन में हुआ था।

वे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री बने, केन्द्रीय गृह मंत्री बने। केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में उन्होंने उस काल में भारत की बागडोर अपने हाथ में रखी थी, जो काल सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा कठिन था। उनका स्वास्थ्य कई दिनों से लगातार गिरता हुआ जा रहा था।

उनका भी स्वर्गवास हुआ, इस सदन को इसके कारण से बहुत दुःख है।

अध्यक्ष महोदय, श्री गिरधारी लालजी व्यास इस विधान सभा के कई वर्षों तक सदस्य रहे हैं। वे कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक भी थे। लेबर आन्दोलन में उन्होंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बहुत ही सक्रिय भूमिका निभायी है । अपने क्षेत्र में ही नहीं पूरे राजस्थान के विकास की गतिविधियों में शामिल होकर विकास को गति देने में तत्कालीन सरकार का उन्होंने सहयोग किया है ।

पिछले कुछ वर्षों से वे बीमार थे । इस बीमारी के कारण जब उनको इस बात की अनुभूति हुई कि मेरे इस प्रकार की बीमारी है, उपचार भी खूब कराया लेकिन मजदूरों का साथी, एक बहुत ही प्रभावी विधायक, एक बहुत ही प्रभावी राजनैतिक कार्यकर्ता हमारे बीच से उठ गया । उनके निधन का भी मुझे बहुत बड़ा दुःख है ।

इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की चार बार रही हुई सदस्य, सुश्री पुष्पा जैन का भी आज के कुछ दिनों पहले निधन हो गया । उनके कैंसर की बीमारी थी । लेकिन उस महिला की इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि 1984 में पहली बार जब यह मालूम हुआ कि उनको कैंसर की बीमारी है, उस बीमारी की चिन्ता नहीं की, 1985 का चुनाव लड़ा । 1990 का चुनाव लड़ने की जब हिम्मत की, उसी समय वह बीमारी ज्यादा उछल गयी । उसके बाद वह ठीक नहीं हुई । पिछले दिनों उनका देहांत हो गया ।

मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रकार से महिला जगत में इस महिला ने अपना कार्य किया है उससे एक अमिट प्रकार की छाप छोड़ी है । उनके प्रति भी यह सदन शोकाभिव्यक्ति निश्चित रूप से प्रस्तुत करे ।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्री और विधायक श्री महेन्द्र कुमार परमार का भी इसी काल में निधन हुआ है । वे चौथी, पाचवीं, सातवीं, आठवीं और नवीं राजस्थान विधान सभा के डूंगरपुर जिले से निरन्तर कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं । उनका भी अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव था ।

आदिवासियों की सेवा करने में उनका जिस प्रकार का योगदान रहा है, यह सदन उसको भूल नहीं सकता ।

उनके निधन के प्रति भी, मैं शोकाभिव्यक्ति करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

पूर्व विधायक श्री नारायण सिंहजी डिग्गी और मैं संयोग की बात है कि हम दोनों क्लासफैलो थे । कई वर्षों तक जोबनेर में हम साथ साथ ही पढ़ते रहे । उनके भी कैंसर की बीमारी थी । इस बीमारी से वे कितने पीड़ित थे, इसका अनुमान तो केवल जो उनसे मिलने गया वही लगा सकता है ।

आदमी बहुत ही मिलनसार थे । अपने क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय थे । विधान सभा के भी सदस्य रहे और विधान सभा में, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने में उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की कोताही नहीं की । उनका भी निधन हुआ है ।

श्रीमती इकबाल कौर इस राजस्थान विधान सभा की पूर्व में सदस्या थीं । बहुत ही लोकप्रिय अपने क्षेत्र में थीं लेकिन खास तौर से वह विनोदी स्वभाव की महिला थीं जिसके कारण से इस सदन में कई बार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बोलकर अपने विनोद से वह सारे सदस्यों को प्रभावित करती थीं।

श्री सूरमा राम जी का आबू के सियावा गांव में जन्म हुआ था। वे सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए 1983 के उप चुनाव में जीते। ग्राम सहकारी समिति आदि क्षेत्रों में उन्होंने निरन्तर काम किया और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रहे हैं।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, पूर्व सांसद एवं विधायक श्री हीराभाई से, मैं समझता हूं, सदन के सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित होंगे। विधान सभा में उनका बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन था। लगातार वे जीत रहे थे। उनकी लोकप्रियता इतनी सुदृढ़ थी कि उस क्षेत्र में किसी दूसरे आदमी का प्रवेश हो जाय, वह आसानी से सम्भव नहीं था। आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, उन्होंने उसमें परमानेंट साख बनायी थी। वे भी हमारे बीच से उठ गये।

वे संसद के भी सदस्य थे। संसद में भी उन्होंने अपना योगदान आदिवासियों के उत्थान में किस प्रकार से किया जा सकता है, वह किया।

पूर्व विधायक श्री गणेशलाल जी का जन्म 25 सितम्बर, 1936 को चित्तौड़गढ़ जिले के गुरजनिया ग्राम में हुआ था।

श्री गणेशलाल जी चौथी विधान सभा के लिए गंगरार निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने विधान सभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए ही संघर्ष किया हो, ऐसी बात नहीं है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के सम्बन्ध में जितने भी प्रश्न उठाये जा सकते थे या जो सुझाव दिये जा सकते थे, वो सुझाव उन्होंने यहां दिये और विधान सभा की कार्यवाही में अपना एक बहुत बड़ा योगदान किया।

अध्यक्ष महोदय, श्री लालाराम जी मेघवाल का जन्म जोधपुर जिले के फलौदी में हुआ था। तीसरी राजस्थान विधान सभा के लिए फलौदी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे। नगर पालिका फलौदी व समाज कल्याण बोर्ड, जोधपुर के भी सदस्य रहे। उनका योगदान विधान सभा की कार्यवाही में बहुत बड़ा रहा। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

स्वतन्त्रता सेनानी और पूर्व विधायक श्री सूर्यमल जी मौर्य का जन्म 15 अक्टूबर, 1910 को ब्यावर में हुआ। वे अजमेर विधान सभा के सदस्य थे। जब अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ तो वे विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सदस्य के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया लोगों की समस्याओं को विधान सभा में रखा और अपना एक स्थान विधान सभा की गतिविधियों में उन्होंने शामिल किया।

अध्यक्ष महोदय, 23 दिसम्बर, 1995 को डी. ए. वी. स्कूल के वार्षिक समारोह में हरियाणा के गांव डबवाली में एक अग्नि कांड में लगभग 400 छोटे बच्चे जलकर भस्म हो गये। उनके लिए सारे राष्ट्र ने शोक व्यक्त किया है। राजस्थान की सर-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कार की ओर से भी वहां जो कुछ भी हम सहायता कर सकते थे, वह समय पर हमने सहायता भेजी। डाक्टर्स भी भेजे, दवाइयां भी भेजीं। लेकिन जो बच्चे गये उनके परिवार की क्या स्थिति है, उसका तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। उसको शब्दों में व्यक्त करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत कठिन है।

मैं उन सारे बच्चों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों को इस दारुण दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इस प्रकार की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इसी दृष्टि से मैंने यह शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं समझता हूं, सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्माननीय नेता ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें 13 दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने, डबवाली में जो हृदय विदारक हादसा हुआ उसमें जो घायल हुए, उन लोगों के स्वास्थ्य के प्रति शुभकामना, और जिनकी मृत्यु हो गयी है उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का उल्लेख है।

श्री देवकान्त बरुआ एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वह स्वतन्त्रता सेनानी थे। 16 साल की आयु में सन् 1930 में, उसके बाद 1941 में और 1942 में 3 बार स्वतन्त्रता संग्राम में वह जेल गये। भारत की पहली कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के भी वह सदस्य थे। उसके बाद प्रथम लोकसभा के भी सदस्य रहे। तीन बार असम विधान सभा के सदस्य रहे। दो बार राज्य सभा के सदस्य रहते हुए केन्द्रीय सरकार में पैट्रोलियम और रसायन मंत्री के पद पर रह कर उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता की निश्चित तौर पर छाप छोड़ी।

वह स्वतन्त्रता सेनानी और एक कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि साहित्यकार भी थे। एक पत्रकार भी थे। वह दैनिक असमिया और नूतन असमिया के प्रधान सम्पादक भी रहे। साथ ही 13 देशों में उन्होंने यात्रा की।

1974 से लेकर 1977 तक और उससे पूर्व कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। असम प्रदेश कांग्रेस के सदस्य भी रहे। इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।

उनका इस राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में, मुल्क के निर्माण के अन्दर और देश की स्वतन्त्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा है।

उनका 28 जनवरी, 1996 को देहान्त हो गया।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, एन. टी. रामाराव नाम से लोकप्रिय थे लेकिन उनका पूरा नाम नन्दमूरि तारिक रामाराव था। 1923 में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने ग्रेजुएट तक गुन्टूर में शिक्षा प्राप्त की। 1949 में तेलुगु फिल्मों में उन्होंने अभियान प्रारम्भ किया। उससे पहले वह सरकारी नौकरी में थे उसे छोड़कर वह फिल्म जगत में आये।

(श्री परसराम मदेरणा)

एन. टी. आर. ने 33 वर्ष तक 300 से भी अधिक पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और पारिवारिक फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों में राम, कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन का अभिनय करने में उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट अभिनय और फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई पारितोषिक मिले। खास तौर से उनको नटरत्न, पद्मश्री और कला प्रपूर्ण का उत्कृष्ट अभिनय के लिए अवार्ड मिले।

फिल्म अभिनेता से राजनीति के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। फिल्मी जीवन छोड़कर वह 1982 में राजनीति में उतरे और तेलगुदेशम पार्टी का गठन किया, 29 मार्च, 1982 को। उसके बाद 90 दिन तक लगातार चैतन्य रथ में 35 हजार किलोमीटर का उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में सफर किया और उसी का परिणाम था कि सघन अभिनय और उनके अकेले के बलबूते पर तेलगुदेशम पार्टी ने जनवरी, 1983 में विजय प्राप्त की। एन. टी. आर. उस वक्त मुख्य मंत्री बने। आन्ध्र प्रदेश के इतिहास में वह एक मात्र मुख्य मंत्री थे जिन्होंने चार बार इस पद को संभाला। यह अपने आप में एक रिकार्ड है।

एन. टी. आर. राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष भी थे। उनके नेतृत्व में 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सत्तारूढ़ भी हुआ। 1994 में भारी मतों से तेलगुदेशम पार्टी चौथी बार जीती और वही उसके मुख्य मंत्री बने लेकिन आपसी कलह से उन्हें सत्ताच्युत होना पड़ा। आन्ध्र प्रदेश के लाखों लोग उनके आज भी प्रशंसक हैं। विपक्ष की राजनीति के वह कर्णधार थे।

वह सत्ता में रहे या बाहर रहे, अभिनेता रहे या राजनीतिज्ञ रहे, हमेशा आकर्षण के केन्द्र बने रहे।

उनका अकस्मात हृदय गति रुक जाने से 18 जनवरी, 1996 को निधन हो गया।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाश चन्द्र जी सेठी राजस्थान के ही रहने वाले थे; यहां जन्म हुआ था उनका। बी. ए. एलएल. बी. तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। राज्य सभा के प्रथम बार वह सदस्य बने और उप मंत्री और राज्य मंत्री रहते हुए कई विभागों का उन्होंने बहुत सक्षमता और योग्यता के साथ संचालन किया। फिर वह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री बने सन् 1972 से 1975 तक। वहां पर भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता की छाप छोड़ी। फिर भारत सरकार में, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में दो बार गृह मंत्री और आयोजना मंत्री रहकर और दूसरे अन्य विभागों का काम उन्होंने बहुत दक्षता से सम्पन्न किया।

विदेशों में भी उन्होंने राष्ट्रमण्डल के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जब वे वित्त मंत्री थे तो दो बैंक, एशियाई विकास बैंक और इन्टरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, सिम्रोल के गवर्नर भी रहे।

वह उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वहां के कोषाध्यक्ष भी रहे।

(श्री परसराम मदेरणा)

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सन् 1951 से लगातार वह सदस्य रहे। मध्य प्रदेश ट्रेड यूनियन के वह उपाध्यक्ष भी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक के रूप में कई प्रान्तों के वह इन्चार्ज भी रहे।

उनके दुखद निधन से सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ी रिक्तता आयी है। उनका निधन 21 फरवरी, 1996 को हुआ।

सुश्री पुष्पा जैन चार दफा विधान सभा की सदस्य रहीं। वह मार्च, 1990 में केबिनेट मंत्री भी बनीं। वह एक प्रखर पार्लियामेंटेरियन थीं। मैं हमेशा उनके भाषण को, जो जन समस्याएं वह सदन में रखती थीं, बहुत ध्यान से सुनता था। मैंने एक बार उनके अच्छे भाषण के बाद उनको बधाई भी दी बाहर निकलते हुए और मैंने उन्हें परामर्श भी दिया कि आप जब गुस्सा करती हैं तो अपने बिन्दू को तार्किक परिणति पर नहीं ले जातीं इसलिए आप शांति से जहां बोलती हैं उसका प्रभाव इस सदन के ऊपर ज्यादा पड़ता है।

नारी उत्थान में हमेशा उनका योगदान रहा। वह एक सर्वमान्य अधिवक्ता भी थीं। बार एसोसिएशन की सांस्कृतिक सचिव और उपाध्यक्ष भी रहीं। विश्वविद्यालय सीनेट की वह सदस्य भी रहीं।

लम्बी बीमारी से, जैसा कि सदन के नेता ने बताया, उनका निधन हो गया, अभी चार-पांच दिन पहले 2 मार्च को। राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में उनके निधन से बहुत बड़ी रिक्तता उत्पन्न हुई है।

श्री महेन्द्र कुमार जी परमार पांच बार विधान सभा के सदस्य रहे। वे एक आदिवासी थे। एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे खुद जेल तो नहीं गये लेकिन स्वतंत्रता आन्दोलन के अन्दर प्रजा मण्डल के नेता स्वर्गीय श्री भोगीलाल पण्ड्या और जोशी जी के नेतृत्व में उन्होंने समर्पित भागीदारी निभायी।

वे जनलेखा समिति व कई समितियों के सदस्य भी रहे। एक अध्यापक से उन्होंने अपना जीवन प्रारम्भ किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वे हिन्दी में विशारद् थे इलाहाबाद से। पहले वे स्कूल के अध्यापक रहे करीबन 10 साल तक, फिर सेवा संघ स्कूल के वार्डन बन गये। फिर वह इन्स्पेक्टर बन गये। उसके बाद पांच दफा वे विधान सभा के सदस्य रहे।

आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार, राजनैतिक जागृति और चेतना और उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने में को-आपरेटिव सोसायटी की स्थापना करने के लिए उन्होंने महती भूमिका अदा की।

उनका निधन 11 फरवरी, 1996 को हुआ है। यह सदन के लिए दुःख की बात है।

डिग्गी के नारायण सिंह जी तीन बार राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। महाराजा कालेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और वे फौज में भर्ती हो गये और कैप्टन के पद पर उनकी पदोन्नति भी हुई। बाद में वे सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन में आये।

वे बहुत ही मिलनसार और धार्मिक

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने कई परोपकारी और सामाजिक संगठनों की सहायता भी की। व्यवहार में वे बहुत सौम्य, सुसंस्कृत और मितभाषी थे।

उनका भी लम्बी बीमारी के बाद 19 फरवरी को देहान्त हो गया। यह इस सदन के लिए बहुत दुःख की बात है।

श्रीमती इकबाल कौर आठवीं विधान सभा में श्रीगंगानगर के करणपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुईं। वे दो समितियों की सदस्य भी थीं। वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष भी रहीं और कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला विभाग की भी रहीं।

नारी उत्थान में उनकी बहुत अभिरुचि थी। समाज सेवा में उन्होंने सराहनीय भूमिका निभायी।

उनका निधन 13 जनवरी, 1996 को हो गया।

सूरमाराम जी दो बार विधान सभा के सदस्य रहे। एक बार बाई-इलेक्शन, 1983 में और उसके बाद आठवीं विधान सभा में 1985 से 1990 तक सदस्य रहे।

वे आदिवासी क्षेत्र से थे। आदिवासी के नाते आदिवासियों के उत्थान में वे हमेशा समर्पित रहे। मृदुभाषी भी थे, सरल स्वभाव के थे और एक सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे।

अभी दिल्ली में जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां उनका हृदय गति रुक जाने से दिनांक 19 नवम्बर, 1995 को अकस्मात देहान्त हो गया।

श्री गिरधारी लाल जी व्यास दो बार विधान सभा के सदस्य भी रहे, दो बार लोक सभा के सदस्य भी रहे। जब विधान सभा के सदस्य थे तब कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक भी तीन साल के लिए रहे।

वे जीवन-पर्यन्त श्रमिक और सर्वहारा वर्ग केलिए संघर्षरत रहे। संसद में और विधान सभा के प्रांगण में वह हमेशा एक प्रभावशाली पार्लियामेंटेरियन थे। उनकी आवाज बहुत बुलन्द थी। इस सदन में वे अपना प्रभाव विशेष तौर पर डालने में सफल रहते थे।

वे स्पष्ट वक्ता भी थे। श्रमिकों के शुभचिंतक थे। एक निर्भीक व्यक्तित्व के धनी थे। सरल स्वभाव और सादा जीवन व्यतीत करने वाले एक नेता थे।

वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे और राजस्थान इंटक के भी उपाध्यक्ष थे। जीवन भर श्रमिकों और कृषकों के हितों की लड़ाई वह लड़ते रहे।

11 दिसम्बर, 1995 को उनका निधन हो गया था। उनके निधन से राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ी क्षति पहुंची है।

श्री हीरा भाई, जैसा कि सदन के नेता महोदय ने कहा है, तीन बार बांसवाड़ा जिले के निर्वाचन क्षेत्र कुशलगढ़ से राजस्थान की विधान सभा के विधायक रहे। दो बार वे लोक सभा के सदस्य भी रहे। लोक सभा और विधान सभा के दौरान वे हमेशा कई आदिवासियों और गरीबों के

(श्री परसराम मदेरणा)

उत्थान में संघर्षशील रहे। उनकी समस्याओं की बहुत जोरदार ढंग से यहां पर अभिव्यक्ति देते थे।

नशाबंदी और पंचायती राज से सम्बन्धित आन्दोलनों में भी वे कई बार जेल गये। वे आदिवासी क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित और बहुत लोकप्रिय नेता थे।

उनका भी अभी 25 दिसम्बर, 1995 को देहान्त हो गया। यह हमारे लिए बहुत पीड़ा की बात है।

श्री गणेशलालजी विधान सभा के एक बार सदस्य रहे, 1967 से 72 तक। वे अपने क्षेत्र के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। सहकारी आन्दोलन में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए हमेशा वे सक्रिय रहे।

एक दफा मुझे भी वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ले गये थे। अपने निर्वाचन क्षेत्र में वे बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे।

उनका भी अभी 10 नवम्बर, 1995 को निधन हो गया। यह हमारे लिए सार्वजनिक जीवन में एक रिक्तता उत्पन्न हुई है।

श्री लालारामजी मेघवाल उसी तहसील के रहने वाले थे जिसका मैं रहने वाला हूं। वे एक बार 1962 से 67 तक तीसरी विधान सभा के सदस्य रहे। नगरपालिका फलौदी के भी सदस्य थे। समाज कल्याण बोर्ड, जोधपुर के भी सदस्य थे।

वे हमेशा हरिजनोत्थान में निरन्तर प्रयत्नशील रहे। वे एक ऐसे भजनी थे, रामदेव बाबा के भजन गाने में उनको दूर-दूर तक ऐसे जागरण के वक्त बुलाया जाता था।

वे बहुत सरल स्वभाव के और विनम्र व्यक्ति थे।

उनका 88 वर्ष की आयु में 17 जनवरी, 1996 को देहान्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय, श्री सूर्यमलजी मौर्य 1952 में अजमेर विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। राजस्थान में अजमेर के विलीनीकरण के बाद वे राजस्थान विधान सभा के सदस्य बने।

वे राजपूताना दलित जाति संघ के अध्यक्ष रहे। वे चीफ कमिशनर के सलाहकार थे जो अंग्रेज हुआ करता था उन दिनों में। स्वतन्त्रता संग्राम में भी वे सक्रिय रहे।

1942 के "भारत छोड़ो आन्दोलन" में उनको 6 माह की कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी।

वे श्रमिकों, हरिजनों और अनुसूचित जाति के लोगों के उद्धार के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

अभी 19 फरवरी, 1996 को उनका निधन हो गया।

इन सभी 13 दिवंगतों के लिए मैं अपने दल की ओर से और स्वयं की ओर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर-शांति प्रदान करें और उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस असह्य क्षति को झेलने की शक्ति दें।

(श्री परसराम मदेरणा)

हरियाणा राज्य के सिरसा जिले के उप-खण्ड डबवाली में दिनांक 23-12-95 को डी. ए. वी. स्कूल के वार्षिक समारोह स्थल राजीव मैरिज पैलेस के हाल में जब समारोह चल रहा था, 2 बजे जब छात्राएं स्टेज पर नृत्य पेश कर रही थीं तभी दुर्भाग्यवश गैस सिलेण्डर फट गया। आग इतनी तेजी से फैली कि अधिकांश स्कूल के बच्चे, अन्य गणमान्य व्यक्ति व अभिभावकगण जो उपस्थित थे, बाहर निकलने का उनको समय ही नहीं मिला। भीषण दुर्घटना का मुख्य कारण राजीव मैरिज पैलेस की चारदीवारी में जो हाल है उसकी निकासी का मात्र एक ही दरवाजा था। घटनास्थल ने श्मशान-घाट का रूप ले लिया।

इस दुःखान्त घटना में 438 लोग जल गये जिसमें अधिकांश बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गयी। सैंकड़ों लोग झुलसकर घायल हो गये। यह डबवाली की भीषण दुःखान्तिका एक हृदय-विदारक, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। पूरे सिरसा जिले में व आस-पास के जिलों में इस दुर्घटना से शोक की लहर दौड़ गयी। इस दारुण, दर्दनाक और हृदय-विदारक हादसे से राष्ट्र को गहरा आघात लगा। देश-भर में इस घटना पर शोक व्यक्त किया गया और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गयी।

आज राजस्थान विधान सभा भी इस आकस्मिक दर्दनाक हादसे पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

मैं अपने दल व स्वयं की ओर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को चिर शांति प्रदान करें एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की भी कामना करता हूं। मृतकों के शोक-संतप्त परिवारों को इस अकथनीय पीड़ा को झेलने के लिए भगवान उन्हें शक्ति, साहस एवं आत्म-बल प्रदान करें।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में सदन के नेता महोदय ने शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव रखा है। करीबन 13 व्यक्तियों के लिए शोक मनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें सारी उनकी करनी और कथनी की बातें सदन के नेता महोदय ने कही, विपक्ष के नेता महोदय ने भी कही।

देवकांत बरुआ, पूर्व राज्यपाल, बिहार; एन. टी. रामाराव, पूर्व मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश; पी. सी. सेठी, पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश; सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, छठी, सातवीं, आठवीं व नवीं विधान सभा; श्री महेन्द्रकुमार परमार, सदस्य, चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं व नवीं विधान सभा; श्री नारायणसिंह डिग्गी, सदस्य, आठवीं विधान सभा; श्रीमती इकबाल कौर, सदस्य, आठवीं विधान सभा; श्री सूरमाराम, सदस्य, सातवीं विधान सभा; श्री गिरधारी व्यास, सदस्य, पांचवीं विधान सभा; श्री हीराभाई, सदस्य, चतुर्थ विधान सभा; श्री गणेशलाल, सदस्य, तीसरी विधान सभा; श्री लालाराम, सदस्य, तीसरी विधान सभा; श्री सूर्यमल मौर्य, सदस्य, प्रथम विधान सभा और हरियाणा स्थित मण्डी डबवाली अग्निकांड के मृतक, इन सभी

(श्री फतेहसिंह)

के प्रति श्रद्धांजलि सदन के नेता ने और विपक्ष के नेता ने अर्पित की है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि ये जो नेता थे, इन्होंने जनता के बीच में अपनी साख जमायी। जनता का दिल जीत करके विधान सभा में या लोकसभा में आये या राज्यपाल का पदभार सम्भाला। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी काम इन्होंने किये हैं, उनके अनुसार हमें भी इस बात को अपने दिल और दिमाग में रखना होगा। जिस तरह से इन नेताओं ने क्षेत्र की जनता के लिए विधान सभा के अन्दर जो अपना रोल अदा किया है, वह कभी भूला नहीं जायेगा।

इनकी आत्मा को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से यह विनती करता हूं कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दें और इनके शोक-संतप्त परिवारों को भगवान दुःख सहने की शक्ति दें।

इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जो स्थिति बनी, वह एक तरह से बहुत ही भयानक स्थिति बनी। छोटे बच्चों का वहां पर जो इस तरह का नुकसान हुआ है वह कभी हमारे दिल में समाया नहीं जा सकता। मैं उन बच्चों के लिए भी, जो मृतक हैं, अपनी तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और उनके परिवारों को भी शांति देने की प्रार्थना करता हूं।

इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दूसरे साथी जो पहले विधान सभा में, चुने गये, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन परमार साहब, जैसा अभी आपने बताया कि पहले एम. एल. ए. भी थे, मंत्री भी बने। इस समय वे प्रमुख थे। एक लम्बी बीमारी से उनका इस तरह से अपने बीच से उठना हुआ। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, वे हमारे इलाके में आते थे, आदिवासियों के बीच में वे अपनी बात रखते थे, आदिवासियों की सेवा में वे लगे रहते थे।

दूसरा, हीराभाई के बारे में मैं कहना चाहूंगा। हीराभाई विधान सभा के सदस्य थे। यहां पर उनका काफी रोल रहता था। विधान सभा के अन्दर वे अड़ जाते थे, बैठ जाते थे। टोक करके बाहर भी उनको निकाला जाता था। क्षेत्र में भी कई बार आन्दोलन हुए, आन्दोलन में वे जेल भी गये। इमरजेंसी के दौरान 19 महीने तक वे जेल में रहे। स्वतन्त्रता आंदोलन चला था, उसमें मध्य प्रदेश के अन्दर मामा बालेश्वर दयाल के साथ में वे जेल गये थे। स्वतंत्रता सेनानी का उनको प्रमाण-पत्र नहीं मिला था। ऐसे व्यक्ति की मौत होने के बाद में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय सरकार की जो मशीनरी बांसवाड़ा में या कुशलगढ़ में थी, दाह-संस्कार के अन्दर नहीं गयी और उसके बाद में शोक मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, वहां भी नहीं गयी। तो मैं यह समझता हूं कि इस तरह से ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर सरकार और अधिकारी कोई चिन्तन नहीं करते हैं तो हमारे लिए दुःख की बात है।

इतना ही कहते हुए सारे शोक-संतप्त परिवार के प्रति मैं अपनी तरफ से संवेदना

(श्री फतेहसिंह)

व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फतेहसिंहजी ने कहा, मैं उनकी बात को दोहराते हुए कह रहा हूं कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर जब हीराभाई का देहान्त हुआ तो देहान्त के वक्त में भी, उनके अन्तिम संस्कार के वक्त भी और उनका जब शोक मनाया गया उस वक्त भी जिला प्रशासन से लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि वहां नहीं गया, जिससे वहां की जनता में भारी रोष रहा। वहां के समाचार-पत्रों में भी यह बात प्रकाशित होती रही, इसके बावजूद भी वहां कोई नहीं गया।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्र विकास) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, इसमें क्या करना है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता महोदय ने जो शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको शामिल करता हूं। श्री देवकांत बरुआ, पूर्व राज्यपाल, बिहार; श्री एन. टी. रामाराव, पूर्व मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष; एवं श्री पी. सी. सेठी, पूर्व मुख्य मंत्रीजी, मध्य प्रदेश, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके नहीं रहने से पुरे राष्ट्र को जो अपूरणीय क्षति हुई है उसको भरने के लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन, श्री महेन्द्र कुमार परमार, श्री नारायण सिंह डिग्गी, श्रीमती इकबाल कौर, श्री सूरमाराम, श्री गिरधारी लाल व्यास, श्री हीराभाई, श्री गणेशलाल, श्री लालाराम, श्री सूर्यमल मौर्य इस सदन के सदस्य रहे और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, उनके नहीं रहने से सार्वजनिक जीवन को क्षति हुई है। इन तमाम सदस्यों को मैं मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को जो शोक हुआ है, मैं प्रकृति से कामना करता हूं कि उनको झेलने की शक्ति दे।

हरियाणा के डबवाली में जो हृदय-विदारक घटना हुई, उसमें जो मृतक छात्र और उनके परिवारजन हैं उनके प्रति मैं शोक व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह की दुर्घटनाएं फिर इस देश में नहीं होंगी। अपने को इसमें शामिल करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, पिछले कुछ महीनों में हमारे कई नेता, हमारे कई साथी इस संसार से चले गये।

श्री देवकांत बरुआ, श्री रामाराव, श्री पी. सी. सेठी का राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान था।

श्री बरुआ साहब एक विनोद प्रिय व्यक्ति थे। अपनी उम्र वालों के साथ में और छोटों के साथ में बराबर बैठकर एक जैसी बात किया कर सकते थे। अध्यक्षजी, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत कठिन समय में बागडोर अपने हाथ में ली

(श्री शिवनाथ सिंह)

श्रौर उसको सम्भाला। राज्यपाल की हैसियत से, केन्द्रीय मंत्री की हैसियत से बहुत बड़ा योगदान उनका राजनीति में रहा।

इसी तरह से श्री रामाराव का उदय भारतीय राजनीति में एक श्रजीब तरीके से हुश्रा। फिल्म जगत से अचानक वे राजनीति में श्राये श्रौर इतनी ऊंचाई पर गये कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति जब हमारे बीच से, राष्ट्र से उठ जाते हैं तो एक पीड़ा की बात है श्रौर राष्ट्रीय राजनीति में जो एक खालीपन आता है वह एक सोचने की बात है।

पी. सी. सेठी ने केन्द्रीय मंत्री के रूप में व अन्य अपने पदों पर रहते हुए राष्ट्र की सेवाएं कीं।

माननीय श्रध्यक्षजी, दूसरे, सुश्री पुष्पा जैन, महेन्द्र कुमार, श्री नारायण सिंहजी, श्रीमती इकबाल कौर, श्री सूरमाराम, श्री गिरधारीलालजी व्यास, श्री हीराभाई, श्री गणेशलाल, लालाराम, सूर्यमल मौर्य का हमारे प्रदेश की राजनीति में, सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है।

श्री गिरधारीलालजी व्यास इस विधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान राजनीति में उनका रहा है।

श्रध्यक्षजी, यह सभी ऐसे साथी थे जिनका योगदान हमेशा-हमेशा के लिये याद किया जाता रहेगा।

अध्यक्षजी, हरियाणा के डबवाली में जो कांड हुश्रा, सम्पूर्ण राष्ट्र उससे स्तब्ध रह गया और यह सोचने को मजबूर होना पड़ा कि क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। श्राज भी हमारे प्रधान मंत्रीजी ने होली का त्यौहार इस डबवाली कांड के कारण नहीं मनाया। एक राष्ट्रीय शोक का सवाल है। सम्पूर्ण राष्ट्र इससे पीड़ित हैं। मैं श्रपने सभी साथियों की श्रोर से इन सभी दिवंगत नेताश्रों को श्रपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे इन दिवंगतों की श्रात्मा को शांति प्रदान करें।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : परम् आदरणीय श्रध्यक्ष महोदय, समस्त हमारे नेतागण जिनका निधन हुश्रा है, मैं भी इस शोक प्रस्ताव में अपने को शामिल करता हूं। डबवाली कांड जो हुआ है उसमें 90 पर्सेण्ट परिवार मेरे समाज के थे। ऐसी दर्दनाक घटना लोगों ने नहीं देखी। साढ़े तीन-चार मिनट के अन्दर एक तरह की विनाशलीला हो गयी। पांच साल से लेकर ग्यारह साल के बच्चों की इस तरह दर्दनाक मौत, मेरे ख्याल में कोई भी देख ही नहीं सकता। उसको याद करें तो वह सीन ऐसा था, प्रधानमंत्री स्वयं जब वहां श्राये तो उनकी श्रांखों में श्रांसू थे। चौधरी भजनलालजी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्राये तो उनकी आंखों में श्रांसू थे। सारा देश उस बात पर रो रहा था। खासकर वह जो राजीव पैलेस था, जैसा मेरे से पूर्व नेताओं ने यहां श्रापके सामने रखा है, उसका एक ही दरवाजा होने के कारण

(श्री राधेश्याम)

यह इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई। राजस्थान सरकार जब भी कभी ऐसे लाइसेंस दे तो उसमें खास तौर से ख्याल रखा जाय कि इस तरह की जो सार्वजनिक जगह हैं, उनके अन्दर चारों तरफ पूरा इन्तजाम किया जाय।

मैं अपनी ओर से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन नन्हें-नन्हें बालकों को अपने चरणों में निवास देंगे। कुछ ऐसे घर हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां कि ताला लगा रह गया। 17 आदमी घर के, 9 आदमी घर के थे, 9 के 9 नहीं आये वापस और ताला बन्द ही रहा। ऐसी दर्दनाक घटना देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के नेता और विपक्ष के नेतागण ने हमारे 14 नेता लोगों के बारे में अपनी शोकाभिव्यक्ति दी है, उसके साथ अपने को जोड़ते हुए, इनमें से कुछ भाई जिनसे मेरा बहुत नजदीक का सम्बन्ध था उनके बारे में कुछ शब्द अपने भी व्यक्त करना चाहती हूं।

देवकांत बरुआजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे सर्वहारा वर्ग के और समाजवादी विचाराधारा के व्यक्ति थे। जब वे अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने समाजवादी नीतियां भी कांग्रेस में लागू की थीं। मैं उस वक्त में अखिल भारतीय युवक कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते उनके साथ काम करती थी इसलिये मेरा उनका नजदीक का सम्बन्ध था। मैं जानती हूं कि किस तरह से वे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी अपने पास बैठाकर के उनके साथ सम्बन्ध रखते थे। उनके निधन से हमारे यहां जो गरीबी उन्मूलन की नीतियां-योजनाएं हैं, उनको बहुत धक्का लगा है और देश को इससे बहुत बड़ी हानि हुई है।

इसी प्रकार से हमारे गिरधारीलाल जी व्यास कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, संसद सदस्य रहे। वे एक महान् सरल और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उन जैसा व्यक्ति सीधा-सादा, ईमानदार, इतनी-इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचा, यह हमारे जैसे राजनीतिज्ञों के लिए एक गौरव की बात है। मैंने भी उनके साथ जब वे अध्यक्ष थे, कई वर्षों तक काम किया। वे ही एक व्यक्ति थे जो मेरी पार्टी में मुझे मैडम कहते थे, और सब तो बहिनजी ही कहते थे। मेरा उनका झगड़ा भी होता था तो वे हमेशा यह कहते थे, मैडम, आप मुझसे झगड़ा करती हैं लेकिन बात मैं आपकी मानूंगा। क्योंकि आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा एक है इसलिये हम आपकी बात मानेंगे। अभी लास्ट में, जैसा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा, जब बीमार थे तब मैं एक दिन उनसे मिलने गयी और मैं बड़े दुःख के साथ कहती हूं कि कहने लगे कि मुझे डाक्टरों ने यह कह दिया कि मैं अब नहीं बचूंगा, मैंने डाक्टरों से कहा, मुझे आप इंजेक्शन देकर मार दो तो डाक्टरों ने कहा नहीं, यह काम हम नहीं करते हैं, मुझे दो-तीन-चार महीने जीना ही पड़ेगा, जब तक मैं नहीं मरता। इस तरह के व्यक्ति थे। उनके लिये मैं आपको शोक प्रकट किये बिना नहीं रह पायी।

तीसरी, बहिन पुष्पा जैन जी बहुत ही

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

कर्मठ और मजबूत थीं। उन्होंने प्रदेश में मिनिस्टर के नाते भी काम किया। मेरे को जो उनकी बात याद है, मैं एयरपोर्ट पर खड़ी थी बाहर और वे मंत्री बनकर अन्दर बैठी थीं, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे पति को एक-डेढ़ साल ही हुआ था, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी तो मैं चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी थी, पुष्पा जैन जी ने मेरी आवाज सुनी, बाहर उठकर आयीं और मुझे अन्दर ले गयीं और बहुत देर समझाया और मुझे बॉम्बे तक अपने साथ लेकर गयीं। उनमें मानवता इतनी थी। मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट किये बिना नहीं रह पायी।

डबवाली कांड में जो बच्चों के साथ और जो सब लोगों के साथ हुआ, उससे तो सारा देश ही दहल गया है। हम सभी उन सब परिवारों के लिये अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान इस प्रकार की घटनाएं फिर न करे, इस प्रकार का प्रबन्ध हमारी सरकार भी करेगी। अन्य जितने साथी इसमें हैं उन सबके लिये भी मैं संवेदना प्रकट करती हूं।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता महोदय ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें मैं भी अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिन नेताओं के बारे में शोकाभिव्यक्ति दी गयी है उनमें दो स्वर्गीय महानुभाव, बांसवाड़ा जिले से श्री हीरा भाई और डूंगरपुर जिले से श्री परमार साहब आदिवासी समाज से इस राजस्थान विधान सभा में और संसद में चुनकर जाते रहे हैं।

राजस्थान के उदयपुर सम्भाग के इलाके से आजादी के बाद से आदिवासियों का चहुंमुखी विकास हो, इसमें इन दोनों नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही माननीय हीरा भाई के स्वर्गवासी होने के समाचार मुझे प्राप्त हुए, मैं तत्काल मेरे सारे कार्यक्रम रद्द कर के उनके निवास स्थान पर पहुंचा और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। आज मैं भी इस मौके पर अपने आपको उस परिवार का सदस्य मानते हुए यह अनुभव करता हूं कि जिस लम्बी राजनैतिक दौड़ में उन्होंने आदिवासियों के विकास में यह अहम् भूमिका निभायी है, मैं यह चाहूंगा कि भविष्य में भी उन लोगों से, उनके कार्यों से, उनके संकल्पों से हम प्रेरणा लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शोकाभिव्यक्ति अर्पित करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे। मैंने कन्फर्म करने की भी कोशिश की थी; मैं यही मानकर चलता हूं कि शायद असेम्बली आफिस से और सरकार की तरफ से भूल-चूक हो गयी होगी और इसमें कुछ और कारण न हो।

सन्तान के रूप में तो हम सबने उनको श्रद्धांजलि दे दी थी लेकिन कर्नल मोहनसिंह जी भाटी इस सदन के सदस्य थे, सन्

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

1952 से लेकर 1957 तक। यहां पर मेरा ख्याल है कि कम से कम तीन-चार ऐसे सदस्य हैं जो उनके साथी भी रह चुके हैं। मुझे तो बहुत ही सौभाग्य रहा है, उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है और आज यहां पर मैंने जो भी बिन्दु उठाये हैं, सदन का सदस्य बना हूं तो अगर वह मुझे जन्म नहीं देते तो शायद मैं यहां पहुंचता भी नहीं।

मैं ना केवल उनके सुपुत्र के नाते, सदन के सदस्य के नाते स्वर्गीय एम. एल. ए. को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि श्री मोहनसिंह जी भाटी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाया। मैं इस भ्रम में था कि संभवतः पूर्व अधिवेशन में इस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गयीं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें भूल हुई है और इस भूल के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री मोहन सिंह जी भाटी पहली विधान सभा के सदस्य थे। मेरे उनके बीच में, मुझे उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ था। उनसे जब तक वह राजनीति में सक्रिय रहे, निरन्तर मेरा सम्पर्क रहा। मैं यह कह सकता हूं कि किसी जमाने में प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर जिस आदमी ने इतनी ख्याति प्राप्त की है, उस आदमी में कभी अपने पद का, अपनी स्थिति का, मैंने कभी किसी समय भी, किसी रूप में भी अभिमान नहीं देखा।

वह समाज में तो प्रतिष्ठित थे ही लेकिन खेलकूद के जगत में और बाकी की व्यवस्थाओं में वह काफी रूप से सक्रिय रहे।

उन्होंने फौज में रहकर ख्याति प्राप्त की। फौज में रहकर उन्होंने कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न की हैं जो फौज में आज भी उनके नाम से जानी जाती हैं। सोल्जर्स में कितने लोकप्रिय थे, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जब तक बीमार रहे, बीमारी जब शुरू हुई उस समय से लेकर जब तक वह काम करते थे, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि किसी प्रकार से वृद्धावस्था ने इनको अपनी गतिविधियों से रोका हो।

वह सदा सक्रिय रहे, हंसमुख थे। गरीब आदमी हो या आवश्यकतामन्द कोई भी आदमी हो उसकी सहायता करने में उन्होंने कभी भी कोई संकोच नहीं किया।

मुझे खेद है कि मैं उस समय श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाया। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय कर्नल मोहन सिंह जी भाटी के प्रति सदन में हम शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव नहीं ला सके, जैसा कि सदन के माननीय नेता महोदय ने प्रस्ताव रखा है, मुझे भी इस बात का बड़ा दुःख है, खेद है।

(श्री परसराम मदेरणा)

कर्नल मोहन सिंह जी जोधपुर के कैवेलरी के अंदर कर्नल थे। बहुत लोकप्रिय फौजी अफसर थे। एक निर्भीक और निडर व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने फौज में जो अनुशासन कायम किया था, वह अनुशासन जीवन भर उनके जीवन का अविभाज्य अंग रहा।

वह बड़े मिलनसार व्यक्ति थे और हमेशा सहृदयता से वार्तालाप किया करते थे।

वह प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे। इतने ऊंचे पद पर होने के बाद भी उनका आम आदमी के साथ में जन-सम्पर्क बहुत ही प्रशंसनीय था।

मैं मेरे दल की ओर से और स्वयं की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर-शांति प्रदान करें और उनके परिवार को, जिसमें स्वयं सम्माननीय भाटी जी भी सम्मिलित हैं, इस क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने श्री देवकांत जी बरुआ, पूर्व राज्यपाल, बिहार, श्री एन. टी. रामाराव जी, पूर्व मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश, श्री प्रकाश चन्द्र जी सेठी, पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश और इस विधान सभा के पूर्व विधायक सुश्री पुष्पा जैन, श्री महेन्द्र कुमार जी परमार, श्री नारायण सिंह जी डिग्गी, श्रीमती इकबाल कौरजी, श्री सूरमा राम जी, श्री गिरधारी लाल जी व्यास, श्री हीराभाई जी मीणा, श्री गणेश लाल जी रैगर, श्री लालाराम जी मेघवाल और सूर्यमल जी मौर्य एवं कर्नल मोहन सिंह जी भाटी तथा डबवाली अग्निकांड के मृतकों के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस-एस के पूर्व अध्यक्ष श्री देवकान्त जी बरुआ का जन्म आसाम के डिब्रूगढ़ में 22 फरवरी, 1914 को हुआ। आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एल.एल. बी. की उपाधि प्राप्त की।

पहली और छठी लोकसभा में सदस्य रहे श्री बरुआ जी वर्ष 1973–74 तथा 1974–77 में राज्य सभा के भी सदस्य रहे। प्रथम लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप संसद में कांग्रेस दल के उप मुख्य सचेतक रहे।

आप वर्ष 1949–51 में संविधान सभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय पैट्रोलियम और रसायन मंत्री भी रहे।

श्री बरुआ जी वर्ष 1957 से 72 तक दूसरी, तीसरी और चौथी आसाम विधान सभा के सदस्य भी रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप 8 जून, 1957 से 15 सितम्बर, 1959 तक आसाम विधान सभा के अध्यक्ष तथा कुछ समय आसाम सरकार में शिक्षा और सहकारिता मंत्री भी रहे।

(14.00)

(श्री अध्यक्ष)

लेखक, पत्रकार, चिन्तक और कला-प्रेमी श्री बरुआजी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने वर्ष 1930, 1941 और 1942 में जेल यात्राएं भी कीं। आप दैनिक असमिया तथा नेतून असमिया, एक असमिया दैनिक, के सम्पादक भी रहे।

आप वर्ष 1938–45 में आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा 1974 से 1977 की अवधि में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1971 से 1973 में आप बिहार राज्य के राज्यपाल रहे।

इतिहास, साहित्य तथा विज्ञान में विशेष रुचि रखने वाले श्री बरुआजी की असमिया कविताओं पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। अपने सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन में आप अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी भी रहे।

आपने चीन, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, सोवियत रूस, जर्मनी तथा जापान सहित अनेक देशों की यात्राएं कीं।

श्री देवकान्त बरुआ का 28 जनवरी, 1996 को निधन हो गया।

आन्ध्र प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर एक दशक से अधिक समय तक छाये रहे श्री नंदमूरि तारक रामाराव जी का जन्म 28 मई, 1923 को कृष्णा जिले में पमरू तालुका के निम्मकुरू गांव में हुआ। आपने विजयवाड़ा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद एस. आर. आर. कालेज से इंटरमीडिएट पास किया तथा वर्ष 1947 में गुन्टूर में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1948 में कुछ समय के लिए सरकारी सेवा की।

श्री रामारावजी ने मार्च, 1982 में तेलगुदेशम पार्टी का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने। आप पहली बार 1983 में तिरुपति तथा गुड़ीवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होकर विधान सभा में पहुंचे तथा जनवरी, 1983 से अगस्त, 1984 तक मुख्य मंत्री रहे। सितम्बर, 1984 में आप दूसरी बार तथा वर्ष 1985 में तीसरी बार आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। दिसम्बर, 1994 में आप चौथी बार आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री बने जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

विपक्षी राजनीति के कर्णधार कहे जाने वाले श्री रामाराव जी ने अथक प्रयास कर गैर-कांग्रेसी पार्टियों को संगठित करके राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। वर्ष 1989 में आपके नेतृत्व में ही राष्ट्रीय मोर्चा केन्द्र में सत्तारूढ़ हुआ।

राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व श्री रामाराव जी दक्षिण के सिने जगत में छाये रहे। आपने 300 से अधिक पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और पारिवारिक तेलुगु-फिल्मों में अभिनय किया। सिने जगत के रुपहले पर्दे पर पौराणिक पात्रों का जीवंत अभिनय करने के अलावा आपने 20 से अधिक फिल्मों का निर्माण भी किया। फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय तथा तेलुगु फिल्म उद्योग के विकास में किये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिये आपको नट रत्न, पद्मश्री और कला प्रपूर्ण आदि अलंकरणों से विभूषित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री एन. टी. रामारावजी का 18 जनवरी, 1996 को निधन हो गया।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द्रजी सेठी का जन्म झालावाड़ जिले के झालरापाटन में 19 अक्टूबर, 1920 को हुआ। आपने माधव कालेज, उज्जैन और होलकर कालेज, इन्दौर में अध्ययन कर बी.ए., एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सेठीजी वर्ष 1961 से 1967 और 1976 से 1980 में राज्य सभा में सांसद रहे तथा चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा में भी सांसद चुने गये। वर्ष 1972 से जनवरी, 1976 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे श्री सेठी जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1975 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे।

संसद के कार्यकाल के दौरान आप जून, 1962 से मार्च, 1967 तक केन्द्रीय उप मंत्री तथा मार्च, 1967 से जनवरी, 1972 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1977 तक आप केन्द्रीय मंत्री रहे। इस अवधि में दिसम्बर, 1976 तक आपने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दायित्वों का निर्वहन किया। जनवरी, 1980 में आप पुनः मंत्री बनाये गये और अक्टूबर, 1984 तक निर्माण और आवास, पैट्रोलियम एवं रसायन, रेल, गृह, सिंचाई आदि मंत्रालयों के मंत्री रहे।

श्री सेठीजी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी भाग लिया। आप प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाओं एवं संगठनों के पदाधिकारी रहे। वित्त मंत्रालय में रहते हुए आप एशियाई विकास बैंक, मनीला और इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, सिओल में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए।

आपने अपने सार्वजनिक जीवन में अफगानिस्तान, सोवियत रूस, अमरीका, कनाडा, इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस सहित लगभग 19 देशों की यात्राएं कीं।

अनुभवी राजनेता श्री प्रकाश चन्द्रजी सेठी का 21 फरवरी, 1996 को निधन हो गया।

पूर्व मंत्री सुश्री पुष्पाजी जैन का जन्म वर्ष 1951 में जयपुर में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी. ए., एल-एल. बी. एवं लेबर ला की उपाधि प्राप्त करने के बाद वकालत प्रारम्भ की।

आप छठी से नवीं राजस्थान विधान सभा तक लगातार चार बार विधायक निर्वाचित हुईं। छठी एवं सातवीं विधान सभा के लिए आप वर्ष 1977 एवं 1980 में आमेर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में तथा आठवीं एवं नवीं विधान सभा के लिए वर्ष 1985 एवं 1990 में पाली निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुईं।

नवीं विधान सभा के कार्यकाल, 1990–92 में आप राजस्थान सरकार में मंत्री रहीं। इस अवधि में आपने बाढ़ एवं अकाल राहत, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व आदि विभागों के दायित्वों का निर्वहन किया।

(श्री अध्यक्ष)

वर्ष 1991-92 में आप उक्त विभागों से सम्बन्धित संसदीय परामर्शदात्री समिति की सभापति भी रहीं।

संगीत एवं नाटक में रुचि रखने वाली सुश्री पुष्पाजी जैन आकाशवाणी की कलाकार भी थीं। आपने अध्ययन काल में नेशनल कैडेट कोर तथा स्काउट्स एवं गाइड्स का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। छात्र राजनीति में सक्रिय रहीं सुश्री जैन राजस्थान विश्वविद्यालय की लेबर ला एसोसियेशन की अध्यक्ष भी रहीं। जयपुर बार एसोसियेशन की सांस्कृतिक सचिव तथा उपाध्यक्ष रहीं सुश्री जैन वर्ष 1980 में राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट की सदस्य भी रहीं।

महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नशील रहीं सुश्री पुष्पाजी जैन नारी चेलना संगठन की कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं।

सुश्री पुष्पाजी जैन का बीमारी के बाद 2 मार्च, 1996 की रात्रि में निधन हो गया।

पूर्व मंत्री और विधायक श्री महेन्द्र कुमारजी परमार का जन्म वर्ष 1928 में डूंगरपुर जिले के ग्राम सुरेला में हुआ। आपने उदयपुर एवं इलाहाबाद में हिन्दी विशारद् तक शिक्षा प्राप्त की।

आप चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं एवं नवीं राजस्थान विधान सभा में डूंगरपुर जिले से निरन्तर कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के दीर्घ कार्यकाल के अनुभव के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। आठवीं विधान सभा के कार्यकाल में आप अक्टूबर, 1985 से जनवरी, 1988 तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, खेलकूद, नागरिक सुरक्षा, खादी एवं ग्रामोद्योग विभागों के राज्य मंत्री भी रहे।

सातवीं एवं आठवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विधि एवं न्याय विभागों से सम्बन्धित संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

विधायक निर्वाचित होने से पूर्व आप वर्ष 1946 से 1956 तक अध्यापक, वर्ष 1957 से 1965 तक वार्डन और वर्ष 1965–66 में राजस्थान सेवा संघ स्कूल के निरीक्षक रहे। आप डूंगरपुर के जिला प्रमुख भी रहे। श्री परमारजी प्रजामण्डल की गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान आपने स्वर्गीय भोगीलालजी पण्ड्या और श्री हरिदेवजी जोशी के नेतृत्व में अपनी भागीदारी निभाई।

श्री महेन्द्र कुमारजी परमार का 11 फरवरी, 1996 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री नारायण सिंहजी का जन्म 15 नवम्बर, 1919 को टौंक जिले की मालपुरा तहसील के गांव लाम्बा में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा डिग्गी में हुई तथा दसवीं की परीक्षा जोबनेर से पास करने के बाद आपने महाराजा कालेज, जयपुर से बी. ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री नारायण सिंहजी दूसरी 1957-62,

(श्री अध्यक्ष)

छठी–1977–80 और आठवीं–1985-90 राजस्थान विधान सभा में विधायक रहे। दूसरी विधान सभा में आप कांग्रेस पार्टी तथा छठी एवं आठवीं विधान सभा में मालपुरा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य रहे। आठवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति तथा याचिका समिति के सदस्य भी रहे।

विधायक के रूप में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिये सतत प्रयत्नशील रहे। मिलनसार, धार्मिक और परोपकारी प्रवृत्ति के श्री नारायण सिंहजी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की मदद करने के लिये सदैव तत्पर रहते थे।

राजनीतिक जीवन शुरू करने से पूर्व आप वर्ष 1942 में सेना में भर्ती हुए तथा सेना में वर्षों तक सेवारत रहते हुए कैप्टन पद तक पदोन्नति प्राप्त की।

श्री नारायण सिंहजी का बीमारी के बाद 19 फरवरी, 1996 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्रीमती इकबाल कौरजी का जन्म 30 अप्रेल, 1946 को हुआ।

श्रीमती कौर आठवीं विधान सभा के लिये अप्रेल, 1985 में हुए उप चुनाव में श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) की प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुई। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति तथा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सदस्य रहीं।

समाज सेवा व नारी उत्थान में अभिरुचि रखने वाली श्रीमती इकबाल कौर का 13 जनवरी, 1996 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री सूरमारामजी का जन्म 6 जून, 1949 को आबू के सियावा गांव में हुआ। आपने मिडल स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री सूरमारामजी सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए जून, 1983 में हुए उप चुनावों में पिंडवाड़ा, आबू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

आप ग्राम सहकारी समिति, सियावा के अध्यक्ष भी रहे तथा समाज सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री सूरमारामजी का 19 नवम्बर, 1995 को निधन हो गया।

प्रमुख श्रमिक नेता और सांसद श्री गिरधारीलालजी व्यास का जन्म 10 फरवरी, 1924 को भीलवाड़ा जिले के बदनौर गांव में हुआ। आपने महाराजा कालेज, जयपुर तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एम.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान आप वर्ष 1951-52 में बदनौर ग्राम पंचायत के सरपंच, वर्ष 1954 से 59 तक आसीन्द तहसील पंचायत के सरपंच, वर्ष 1959 से 62 तक पंचायत समिति, आसीन्द के प्रधान, वर्ष 1962 से 67 तक भीलवाड़ा जिला परिषद के उप जिला प्रमुख रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री व्यासजी तीसरी राजस्थान विधान सभा, 1962–67 में आसीन्द निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे तथा पांचवी विधान सभा के दौरान वर्ष 1973 में हुए उप चुनाव में भी इसी क्षेत्र से विधायक चुने गये। वर्ष 1969 से 72 तक आप राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक रहे।

वर्ष 1980 और 1985 के लोकसभा चुनावों में आप भीलवाड़ा क्षेत्र से क्रमशः सातवीं एवं आठवीं लोक सभा के सांसद चुने गये। संसद में आप लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

जीवन पर्यन्त श्रमिक और सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए संघर्षरत रहे श्री व्यासजी संसद और विधान सभा में सदैव मुखर रहते थे। स्पष्टवक्ता और श्रमिकों के शुभचिन्तक श्री व्यासजी राजस्थान राज्य बीस सूत्री कार्यक्रम मूल्यांकन समिति, 1975–77 तथा राजस्थान में पंचायती राज सम्बन्धी उच्च अधिकार प्राप्त समिति, 1969–73 के चेयरमैन रहे।

श्री व्यासजी कांग्रेस संगठन के सिद्धांतों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे। सरल स्वभाव और निर्भीक व्यक्तित्व के धनी श्री व्यासजी वर्ष 1972 से 77 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आप राजस्थान इन्टक के उपाध्यक्ष भी रहे।

जीवन भर श्रमिकों और कृषकों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले श्री गिरधारी लालजी व्यास का दिनांक 17 दिसम्बर, 1995 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद एवं विधायक श्री हीराभाईजी का जन्म 25 दिसम्बर, 1922 को बांसवाड़ा जिले के काकनवाली ग्राम में हुआ। आपने हायर सैकण्डरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

आप वर्ष 1957 से 72 तक दूसरी, तीसरी एवं चौथी राजस्थान विधान सभा में कुशलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री हीराभाईजी बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र से छठी लोक सभा, 1977–79 एवं नवीं लोक सभा, 1989-91 में भी सदस्य रहे।

नवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप नागर विमानन मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। जीवन भर कृषकों, आदिवासियों व गरीबों के उत्थान के लिये संघर्षशील रहे श्री हीराभाईजी ने आपातकाल में जेलयात्रा भी की। बंधुआ मजदूर, नशाबन्दी और पंचायती राज से सम्बन्धित आन्दोलनों में भाग लेने के कारण आप सात बार जेल भी गये।

श्री हीरा भाईजी का 25 दिसम्बर, 1995 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री गणेशलालजी का जन्म 25 दिसम्बर, 1936 को चित्तौड़गढ़ जिले के गुरजणियां ग्राम में हुआ। आपने मिडल स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री गणेशलालजी चौथी राजस्थान विधान सभा, 1967–72 के लिये गंगरार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिये

२५

(श्री अध्यक्ष)

निरन्तर प्रयत्नशील रहे। सहकारी आन्दोलन और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए भी आप सदैव सक्रिय रहे। सामाजिक उत्थान के कार्यों में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री गणेशलालजी का दिनांक 10 नवम्बर, 1995 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री लालारामजी मेघवाल का जन्म जोधपुर जिले के फलौदी में हुआ। 88 वर्षीय श्री मेघवालजी ने फलौदी में ही प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

आप तीसरी राजस्थान विधान सभा, 1962-67 के लिये फलौदी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे श्री मेघवालजी नगरपालिका, फलौदी और समाज कल्याण बोर्ड, जोधपुर के भी सदस्य रहे।

हरिजनोत्थान के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे श्री मेघवालजी समाज कल्याण और सहकारिता के क्षेत्र में भी कार्यशील रहे। संगीत और भजन आदि में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री लालारामजी मेघवाल का दिनांक 17 जनवरी, 1996 को निधन हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी और पूर्व विधायक श्री सूर्यमलजी मौर्य का जन्म 15 अक्टूबर, 1910 को ब्यावर में हुआ। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मौर्यजी वर्ष 1952 में अजमेर राज्य की विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1 नवम्बर, 1956 से तत्कालीन अजमेर राज्य विधान सभा का राजस्थान विधान सभा में संविलयन हो जाने के पश्चात् आप प्रथम राजस्थान विधान सभा के सदस्य बने।

राजपूताना दलित जाति संघ के अध्यक्ष रहे श्री मौर्यजी अजमेर के चीफ कमिश्नर की सलाहकार परिषद् के सदस्य भी रहे। आपने स्वतन्त्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर आपको 6 माह के कठोर कारावास की सजा हुई।

वर्षों तक प्रदेश कांग्रेस के सदस्य रहे श्री मौर्यजी श्रमिकों, हरिजनों और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के उद्धार के लिए निरन्तर कार्य करते रहे।

श्री सूर्यमलजी मौर्य का 11 फरवरी, 1996 को निधन हो गया।

श्री मोहनसिंहजी भाटी का गलती से पहले रह गया है इसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं और आइन्दा से इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं उन्हें भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

हरियाणा में सिरसा जिले के उप मण्डल डबवाली में 23 दिसम्बर, 1995 की दोपहर डी. ए. वी. स्कूल के वार्षिक समारोह के दौरान हुए भीषण अग्निकाण्ड में लगभग 400 लोगों से ज्यादा की दर्दनाक मृत्यु हो गयी। मृतकों में अधिकांश स्कूली बच्चे थे। दिल दहला देने वाली

(श्री अध्यक्ष)

इस दारुण दुःखांतिका से डबवाली के सैंकड़ों परिवारों में जहां अपने नन्हें बच्चों को खोने और भविष्य की आशाओं पर तुषारापात हो जाने तथा परिवार के कई-कई सदस्यों के हमेशा के लिये बिछुड़ जाने का असहनीय दुःख है वहीं यह हादसा उन पिताओं के लिये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है जिन्होंने अपने पुत्रों की अंत्येष्टि अपने हाथों से की है। डबवाली अग्निकांड जैसी त्रासदी महसूस की जा सकती है उसे व्यक्त करनें के लिए शब्द कम पड़ते हैं।

मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही शुक्रवार : 8 मार्च के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.18 बजे शुक्रवार; दिनांक 8 मार्च, 1996 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

दसवीं विधान सभा के छठे सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं तथा आपके माध्यम से राज्य की जनता को अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

2. 1990 में हुए विधान सभा के चुनाव के फलस्वरूप प्रदेश में श्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंतराल से पुन: सरकार बनी और राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष को छोड़कर तब से प्रदेश में निरन्तर श्री शेखावत के नेतृत्व में सरकार चल रही है। राष्ट्रपति शासन की इस अवधि में सामान्यतया राज्य की योजना व विकास नीतियां वे ही रहीं जो पूर्व सरकार द्वारा तय की गई थीं। विकास के वर्तमान कार्यक्रमों तथा नीतियों के चलते इस प्रकार 6 वर्ष हो गये हैं। 1990–96 की 6 वर्ष की अल्प अवधि में प्रदेश में जो कार्य हुए हैं वे प्रदेश के त्वरित विकास हेतु सरकार के प्रयासों व कटिबद्धता को दर्शाते हैं।

3. जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, पूर्व वर्षों में राज्य में प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी कम होता था अत: सापेक्षिक दृष्टि से हम अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पाते थे। वर्ष 1990 से अब तक हुए योजनागत विनियोजन में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के फलस्वरूप वर्तमान सदी के अंत तक सभी विकास समंकों में राजस्थान महत्वपूर्ण प्रगति अर्जित कर सकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, वन विकास, औद्योगिक विकास, निर्यात, पर्यटन, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि सभी क्षेत्रों में राजस्थान का अब विशिष्ट स्थान बन रहा है। राजस्थान के वर्तमान विकास प्रयासों का उल्लेख देश में सर्वत्र आदर से किया जाता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है और भविष्य के लिए शुभ संकेत भी। राज्य के विकास की वर्तमान स्थिति का सही आंकलन करने के उद्देश्य से मैं माननीय सदस्यों के समक्ष प्रदेश में 1985-90 व 1990–95 की अवधि में हुए विकास की तुलनात्मक जानकारी देना चाहूंगा और विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा।

4. मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष होता है कि विनियोजन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये विशेष प्रयासों से अब प्रदेश में प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोग अन्य बड़े राज्यों की तुलना में अधिक है। 1985–90 में राज्य में 3106 करोड़ रुपये का योजनागत विनियोग हुआ था। इसकी तुलना में 1990–95 की अवधि में प्रदेश में 7726 करोड़ रुपये का योजनागत विनियोजन हुआ जो 1985–90 में योजनागत विनियोजन से 148% अधिक है। राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के आकार में हुई कीर्तिमान वृद्धि से माननीय सदस्य परिचित हैं।

5. सरकार द्वारा कृषि को विशेष प्राथमिकता दी गई। 1985–90 की अवधि में जहां कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए

(क्रमागत)

योजनान्तर्गत 203 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे वहीं 1990–95 की अवधि में 704 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। अधिक विनियोजन के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में स्थायित्व आया है। 1985–90 की अवधि में खाद्यान्न के औसत वार्षिक उत्पादन 77 लाख टन की तुलना में 1990–95 की अवधि में वार्षिक औसत उत्पादन 98 लाख टन हुआ। 1985–90 में प्रदेश में प्रतिवर्ष जहां औसतन 13 लाख टन तिलहन का उत्पादन प्रति वर्ष हुआ वहीं 1990–95 की अवधि में तिलहन का औसतन उत्पादन बढ़कर 26 लाख टन प्रतिवर्ष हो गया। 1985–90 की अवधि में कपास की 6 लाख गांठें प्रतिवर्ष होती थीं। इसकी तुलना में 1990–95 की अवधि में कपास की 9 लाख गांठों का औसत उत्पादन प्रतिवर्ष हुआ जो 50 प्रतिशत अधिक है। 1990–95 के पांच वर्षों में रासायनिक खाद की औसत वार्षिक खपत 10 लाख टन रही जो पूर्व के पांच वर्षों की औसत वार्षिक खपत 5.7 लाख टन से 80 प्रतिशत अधिक है।

6. माननीय सदस्य प्रदेश में अपर्याप्त पानी की कमी से परिचित हैं। सरकार ने जल के कुशलतम उपयोग पर विशेष ध्यान दिया है। 1985–90 की अवधि में राज्य में कुल 3118 फव्वारा सिंचाई सैट लगाये गये थे इसकी तुलना में 1990–95 में 32046 फव्वारा सिंचाई सैट लगाये गये जो पिछले 5 वर्षों में लगे फव्वारा सिंचाई सैटों की संख्या के 10 गुना से भी अधिक है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन कम हैं वहां के किसानों के लिये भूसंरक्षण एवं जलसंग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं भू संरक्षण पर 1990–95 में 117 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इसके पूर्व के 5 वर्षों में इस कार्य पर केवल 55 करोड़ रुपये का ही व्यय हुआ था।

7. बारानी भूमि तथा लघु एवं सीमान्त जोत के किसानों की कुओं से सिंचित भूमि पर लगान माफ किया गया। कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत 12.46 लाख किसानों को 326 करोड़ रुपये की राहत पहुंचाई गई। फव्वारा सिंचाई सैट, ड्रिप सैट तथा प्रमाणित बीजों पर बिक्री कर हटाया गया। रासायनिक खाद पर विक्रय कर 2 प्रतिशत कम किया गया। बैटरमेण्ट लेवी की वसूली माफ की गई। राजस्थान भूमि विकास निगम के माध्यम से खालों के निर्माण हेतु लिये गये लगभग 81 करोड़ रुपये के मूल ऋण तथा ब्याज की राहत किसानों को दी गई।

8. पहले किसानों को कृषि आदान हेतु पूरा ऋण नहीं मिल पाता था। 1985–90 में सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये गये 473 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण की तुलना में 1990–95 में 905 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया। पिछले 5 वर्षों में 183 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को दिया गया जबकि इसके पूर्व के 5 वर्षों में केवल 94 करोड़ रुपये का ऋण ही दिया गया था।

9. पर्यावरण सुधार, ईंधन व इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने की दृष्टि से वनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। वन

28

(अभिभाषण)

विकास पर 1985–90 की अवधि में हुए 156.05 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 1990–95 में 425.38 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। इस अवधि में जापान की सहायता से अरावली वन विकास, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र वन विकास तथा अन्य क्षेत्रों में वन विकास हेतु 423.52 करोड़ रुपये के लागत की योजनाएं मंजूर कराई गईं। वनों के बेहतर संधारण हेतु स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी से संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया। जयपुर, अजमेर, पाली व भीलवाड़ा जिलों में वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उपग्रह के माध्यम से हुई जांच के अनुसार राज्य के हरित क्षेत्र में 210 वर्ग कि. मी. की वृद्धि हुई है जो सरकार के वन विकास के प्रयासों की सार्थकता दर्शाती है।

10. सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। 1985–90 की अवधि में सिंचाई योजनाओं पर 544 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इसकी तुलना में 1990–95 की अवधि में 1038 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो पूर्व के 5 वर्षों के व्यय से 90 प्रतिशत अधिक है। 1990 में राज्य में केवल 22.32 लाख हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी जो 1995 में बढ़कर 25.42 लाख हैक्टेयर हो गई।

11. सरकार ने किसानों को बिजली उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। जहां 1985–90 की अवधि में 79838 कुओं पर बिजली के कनेक्शन दिये गये वहीं 1990–95 की अवधि में 1.33 लाख कुओं पर बिजली दी गई। 1985–90 के वार्षिक औसत 15965 विद्युतीकृत कुओं की तुलना में 1990-95 में विद्युतीकृत कुओं की वार्षिक औसत 26734 रही। 1985-90 की अवधि में राज्य में 30 अरब यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को दी गई थी। इसकी तुलना में 1990–95 में 50 अरब यूनिट बिजली उपलब्ध कराई गई। 1985–90 में 6 अरब यूनिट औसत बिजली प्रति वर्ष की तुलना में 1990–95 में 10 अरब यूनिट औसत बिजली प्रति वर्ष उपलब्ध कराई गई।

12. राज्य सरकार के विशेष प्रयास पर केन्द्रीय सरकार व योजना आयोग से 1990–95 की अवधि में धौलपुर, बरसिंगसर एवं सूरतगढ़ की योजनाएं स्वीकृत कराई गईं। सूरतगढ़ परियोजना के प्रथम चरण में 250 मेगावाट की पहली इकाई के तापीय संयंत्र बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया। मार्च, 1997 तक इस में उत्पादन प्रारम्भ हो सकेगा। 250 मेगावाट की दूसरी इकाई का भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। रामगढ़ में 35 मेगावाट के गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र को चालू कर दिया गया है। 1985–90 में ऊर्जा पर हुए 958 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 1990–95 में ऊर्जा पर 2112 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस अवधि में पूर्व के 5 वर्षों में लगे 33 के. वी. के 97 स्टेशनों की तुलना में 154, स्टेशन 132 के. वी. के 22 स्टेशनों की तुलना में 38 स्टेशन तथा 220 के.वी. के एक स्टेशन के स्थान पर 10 स्टेशन लगाये गये। इस प्रकार विद्युत प्रवाह क्षमता में आशातीत सुधार किया गया।

13. 1985–90 में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर 517 करोड़ रुपये खर्च हुए

(अभिभाषण)

थे इसकी तुलना में 1990–95 की अवधि में 1366 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में सामुदायिक भवनों, सड़कों, सिंचाई के तालाबों आदि का निर्माण हुआ।

14. राज्य में पानी की कमी है। अतः पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर 1985–90 की अवधि में हुए 398 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 1990–95 की अवधि में 643 करोड़ रुपये खर्च किये गये। 1985–90 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में 196 करोड़ रुपये पेयजल योजनाओं पर व्यय हुए जबकि 1990–95 की अवधि में 455 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

15. राज्य में साक्षरता की स्थिति चिन्ताजनक होने के कारण सरकार ने पिछले 5 वर्षों में शिक्षा विकास पर विशेष ध्यान दिया। 1990–95 की अवधि में राज्य में शिक्षा पर 595 करोड़ रुपये योजनान्तर्गत खर्च किये गये। यह व्यय पूर्व के 5 वर्षों में किये गये 286.27 करोड़ रुपये के व्यय से 108 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में 16 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। अजमेर जिला उत्तरी भारत का सबसे पहला साक्षर जिला बना तथा डूंगरपुर को देश का पहला साक्षर जनजाति जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। राज्य में इस समय 24 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1990–95 की अवधि में राज्य में 5955 प्राथमिक शालाएं खोली गईं जबकि इसके पूर्व के 5 वर्षों में केवल 1900 प्राथमिक शालाएं ही खोली गई थीं। इसी अवधि में 1659 उच्च प्राथमिक शालाएं खोली गईं जबकि इसके पूर्व के 5 वर्षों में 1591 उच्च प्राथमिक शालाएं खोली गई थीं। 1985–90 की अवधि में सारे राज्य में केवल एक ही नया महाविद्यालय खोला गया था जबकि 1990–95 की अवधि में प्रदेश में 8 नये महाविद्यालय खोले गये।

16. उद्योग, खनिज तथा सेवा क्षेत्र में तकनीकी व्यक्तियों के रोजगार की अधिक सम्भावनाएं बनी हैं। इसलिये तकनीकी शिक्षा के बजट में आशातीत सुधार किया गया। 1985–90 में तकनीकी शिक्षा पर हुए 10.51 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 1990–95 में 76 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो पूर्व के 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय से 624 प्रतिशत अधिक है।

17. पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में औद्योगीकरण की गति बढ़ी है। 1985–90 की अवधि में लघु इकाइयों पर 329 करोड़ रुपये का विनियोग तथा मध्यम तथा बड़े उद्योगों पर 1837 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ। इसकी तुलना में 1990–95 की अवधि में लघु इकाइयों पर 738 करोड़ रुपये तथा मध्यम एवं बड़े उद्योगों पर 8894 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ। 1990–95 की अवधि में लगने वाले उद्योगों में 1.09 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता है।

18. पिछले 5 वर्षों में रीको द्वारा 10500 एकड़ भूमि का उद्योग लगाने हेतु विकास किया गया जबकि इसके पूर्व के 5 वर्षों में केवल 3500 एकड़ भूमि ही विकसित की गई थी। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर

(अभिभाषण)

रीको द्वारा पिछले 5 वर्षों में 185 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इसके पूर्व के 5 वर्षों में केवल 34 करोड़ रुपये ही इस कार्य हेतु खर्च किये गये थे।

19. राज्य सरकार ने प्रदेश से निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दिया है। 1990–95 की अवधि में 6414 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया। 1990–91 में हुए 422 करोड़ रुपये के निर्यात की तुलना में 1994–95 में 2820 करोड़ रु. का निर्यात हुआ। निर्यात हेतु जोधपुर में नया इनलैण्ड कंटेनर डिपो बनाया गया है। उदयपुर व कोटा में इनलैण्ड कंटेनर डिपो के अगले कुछ महीनों में चालू होने की सम्भावना है। भीलवाड़ा व अलवर-भिवाड़ी में भी इस प्रकार के डिपो बनाये जाने प्रस्तावित हैं। सरकार ने राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1994 में की थी जिसके फलस्वरूप प्रदेश में उद्योग लगाने का अच्छा वातावरण बना है। इस नीति में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निर्यात प्रोत्साहन, राज्य के साधनों के दोहन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया।

20. खनिजों के समुचित दोहन के लिए नई खनिज नीति बनाई गई व प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया जिसके फलस्वरूप खनन कार्य से राज्य की आय में आशातीत वृद्धि हुई। 1985–90 में खनिज क्षेत्र में 303 करोड़ रुपये की आय की तुलना में 1990–95 की अवधि में 681 करोड़ रुपये की आय हुई।

21. सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। 1985–90 में चिकित्सा सुविधाओं पर 771 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में 1990–95 में 1687 करोड़ रुपये प्रावधित किये गये। अस्पताल में दी जाने वाली दवाइयों के बजट को दुगुना किया गया। 10 मरुस्थलीय जिलों में विश्व बैंक की सहायता से 109 करोड़ रुपये की एक नई परियोजना लागू की गई। अंधता निवारण हेतु सभी जिलों में स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से एक नया कार्यक्रम लागू किया गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व झालावाड़ जिलों को नारू रोग की व्याधि से मुक्त किया गया। अगले वर्ष तक सारा राज्य ही इस रोग से मुक्त हो सकेगा।

22. प्रदेश में सड़कों की कमी है। पिछले 5 वर्षों में सड़कों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। 1985–90 की अवधि में जहां केवल 2320 नये गांवों को सड़कों से जोड़ा गया वहीं 1990–95 की अवधि में 4141 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। 1985–90 की अवधि में योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण पर 192 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इसकी तुलना में 1990-95 में 561 करोड़ रु. खर्च किये गये। नई सड़क नीति के अनुसार अगले 4-5 वर्षों में सड़कों के निर्माण पर 3000 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इस अवधि में 1991 की 1000 की आबादी के सभी गांवों तथा सभी पंचायत मुख्यावासों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।

23. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि चालू वर्ष में प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सन्तोषप्रद रही व साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द का वातावरण बना रहा। पुलिस ने अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को पकड़ने के लिये सजगता एवं सक्रियता बनाये रखी। पंजाब तथा कश्मीर में आतंकवादी एवं विघटन-

(अभिभाषण)

कारी तत्वों के पुनः सक्रिय होने तथा पाकिस्तान द्वारा उन्हें सहायता दिये जाने से हमारी सीमाओं पर बराबर दबाव बना रहता है। सीमा पर तारबन्दी का कार्य अब तक 600 कि. मी. लम्बाई में पूरा हो चुका है। सीमा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत 6 करोड़ रुपये पुलिस तथा सुरक्षा एजेन्सियों के लिए स्वीकृत किये गये हैं। सीमा पर होने वाली तस्करी की रोकथाम के प्रयासों से इस वर्ष 93 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गईं। बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किये गये। 960 व्यक्तियों को अवैध रूप से भारत से पाकिस्तान जाते हुए और 91 व्यक्तियों को पाकिस्तान से भारत आते हुए गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध रूप से हथियार, बारुद व प्रशिक्षित घुसपैठियों को भेजकर प्रदेश व देश में अशांति उत्पन्न करने की निरन्तर चेष्टा कर रही है। गणतंत्र दिवस पर सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में जो बम विस्फोट हुआ उससे भी यही प्रतिध्वनित होता है। अतः हमें निरन्तर चौकसी रखनी होगी।

24. जयपुर में कुछ समय पूर्व एक रत्न निर्यातक की छोटी बच्ची के अपहरण की घटना हुई थी। माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस अपहरण योजना में एक बड़े कारखाने का मालिक शामिल था। उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। शीघ्र ही उसके तथा इस अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसी घटनाएं अपराध के नये आयामों को इंगित करती हैं। इसके लिए न केवल नागरिकों को सजग रहना होगा बल्कि सरकार द्वारा पुलिस का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण भी करना होगा। आयोजना भिन्न विभाग होने के कारण पुलिस के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण पर पूर्व वर्षों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। पुलिस प्रशासन की पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा इस वर्ष 1335 कांस्टेबल, 357 हेड कांस्टेबल, 330 सहायक उपनिरीक्षक, 214 उपनिरीक्षक, 99 निरीक्षक, 27 उप पुलिस अधीक्षक एवं 16 अपर पुलिस अधीक्षक के नये पद स्वीकृत किये गये। महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए जयपुर, अजमेर व कोटा में तीन नये महिला पुलिस थाने स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त 9 नये थाने और 25 नई पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं तथा 8 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया गया है। पुलिस प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई। जोधपुर व उदयपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं ताकि अपराधों की जांच वैज्ञानिक तरीकों से की जा सके।

25. राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस वर्ष कर्मचारियों के विरुद्ध 180 अभियोग पंजीकृत किये गये। 101 अभियोगों में लोक सेवकों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 105 अभियोगों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। 78 अधिकारियों को दण्डित किया गया, 23 अधिकारियों को राज्य सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया एवं 453 अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किये गये।

26. इस वर्ष प्रदेश में मानसून आने

(अभिभाषण)

में कुछ विलम्ब हुआ। राज्य के 26 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर व हनुमानगढ़ जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, असामयिक वर्षा होने, मानसून के प्रदेश में देरी से आने व जल्दी चले जाने के कारण राज्य के 25478 गांवों में अभाव की स्थिति बनी। विशेष दबाव डालकर भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा कोष में से 21 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान को देने के लिए अनुशंसा कराई गई। यद्यपि भारत सरकार से अब तक यह राशि प्राप्त नहीं हुई है लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने अपने बजट से 35.50 करोड़ रुपये की राशि बाढ़ राहत कार्यों के लिए स्वीकृत की है ताकि बाढ़ राहत कार्य प्राथमिकता से पूरे किये जा सकें। प्रदेश में आवश्यकतानुसार अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। विभिन्न रोजगार योजनाओं एवं अकाल राहत कार्यों पर इस समय राज्य में लगभग 6.6 लाख श्रमिक प्रतिदिन कार्यरत हैं। अकाल राहत कार्यक्रम में क्षतिग्रस्त तालाबों एवं नहरों के पुनर्निर्माण, अधूरे कार्यों को पूरा करने, जानवरों के पीने के पानी की नाड़ी व जोहड़ के निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण आदि को प्राथमिकता दी गई है। सरकार अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था करने के लिये कटिबद्ध है।

27. इस वर्ष बाढ़ग्रस्त जिलों में जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर तक 49,735 परिवारों को लाभान्वित किया गया है तथा 89884 व्यक्तियों के आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। ट्राइसम योजना के अन्तर्गत 3706 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 4920 युवा प्रशिक्षणरत हैं। इस वर्ष डांग क्षेत्र विकास का एक नया कार्यक्रम भी लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर एवं बूंदी जिलों की 331 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न रोजगार योजनाओं तथा अकाल राहत कार्यों का क्रियान्वयन समेकित रूप से किया जा रहा है ताकि प्रभावित व्यक्तियों को इनका समुचित लाभ मिल सके।

28. जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना 11500 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई थी। इसमें से चालू वर्ष के अंत तक 8765 करोड़ रुपये का व्यय होना सम्भावित है। अगला वर्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा। अगले वर्ष की वार्षिक योजना पर योजना आयोग से अभी चर्चा होना शेष है। यदि योजना आयोग द्वारा आगामी योजना में वही प्रावधान किया जाता है जो चालू वर्ष की योजना का है तब भी राज्य की आठवीं योजना में लगभग 12000 करोड़ रुपये व्यय होना सम्भावित है। यह हमारे लिये गौरव की बात है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित आकार में वृद्धि करने वाले गिने चुने प्रदेशों में राजस्थान की गिनती होगी वह भी तब जबकि आठवीं योजना का आकार सातवीं योजना की तुलना में 283

(अभिभाषण)

प्रतिशत अधिक है । इस महती उपलब्धि के लिये मैं प्रदेश की जनता, माननीय सदस्यों, मंत्रिमण्डल तथा मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिह शेखावत को बधाई देना चाहूंगा ।

29. विश्व बैंक की सहायता से 7 जिलों के लिए जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना बनाई जा रही है । आशा है अगले वर्ष इस योजना की क्रियान्विति प्रारम्भ हो सकेगी । प्रत्येक विकास खण्ड में 5 गांवों के हिसाब से राज्य में 1185 गांवों को ग्रामीण विकास केन्द्रों के रूप में चिन्हित किया गया है और इनमें एकसमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है । इन विकास केन्द्रों के लिए 85 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार कर स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भिजवाई गई है । इस वर्ष राज्य योजना में इन केन्द्रों के लिये 11 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की सम्भावना है ।

30. कम्प्यूटर निदेशालय के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं को चिन्हित करने के लिये विकास दर्पण योजना तैयार की गई है ताकि युक्तिगत आधार पर सामुदायिक सुविधाओं का विस्तार हो सके ।

31. विकास की प्रक्रिया ने स्थानीय समुदाय को बाह्य कौशल पर निर्भर बना दिया गया है । अतः इस बात की आवश्यकता है कि नये तकनीकी ज्ञान को समुदाय में ही आधारित किया जावे । गोपाल, सरस्वती, मित्र किसान, स्वास्थ्य कर्मी, जनमंगल आदि योजनाएं इसी उद्देश्य से चलाई गई हैं । यदि ग्रामीण समुदाय उनके द्वारा चयनित व्यक्तियों को किसी प्रकार का तकनीकी प्रशिक्षण देने का अनुरोध करते हैं तो सरकार उनके प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करेगी ।

32. प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने त्वरित प्रयास किये हैं । कोटा तापीय विद्युतगृह ने पिछले 7 साल से श्रेष्ठ उत्पादन करने के लिये भारत सरकार से उत्पादकता पुरस्कार लिया है । यह हमारे लिये गौरव का विषय है । विश्व में पहली बार बड़ी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की पहल करने का श्रेय सरकार के प्रयासों से प्रदेश को प्राप्त हुआ है । सरकार ने 3 कम्पनियों की 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिये आशय पत्र दिये हैं । इनमें से 2 कम्पनियों ने काम शुरू कर दिया है तथा तीसरे संयंत्र का काम भी शीघ्र ही शुरू हो जाने की आशा है । मथानिया स्थित सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिये ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी से अगले वर्ष सहायता स्वीकृत होने की आशा है । जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर जिले में सौर ऊर्जा उद्यम क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि उस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के संयंत्र लग सके ।

33. इस वर्ष महत्वपूर्ण उपलब्धि सौर ऊर्जा के दोहन की है । सौर ऊर्जा दोहन के वर्तमान प्रयासों से पश्चिमी राजस्थान में विकास की नई सम्भावनाएं बनी हैं । सौर ऊर्जा के सफल दोहन से हम भविष्य में राजस्थान की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे । 40 से 50 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये 5 कम्पनियों ने जोधपुर, भिवाड़ी,

(अभिभाषण)

नीमराना एवं शाहजहांपुर के लिये आशय पत्र जारी होने के बाद आवश्यक धनराशि जमा करा दी है। जयपुर, भिवाड़ी, उदयपुर एवं आबू रोड के लिये 4 कम्पनियों को 100 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र लगाने हेतु आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं।

34. पवन ऊर्जा के दोहन के लिये भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर निजी निवेशकों से प्रस्ताव मांगे गये हैं। बरसिंगसर, सूरतगढ़ द्वितीय चरण और धौलपुर परियोजनाओं के लिये निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनका परीक्षण अंतिम चरण में है। इस महीने के अन्त तक इन पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा। वितरण एवं प्रसार प्रणाली में सुधार करने एवं एल. टी. रहित पद्धति लागू करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में ऊर्जा वित्त निगम ने 212 करोड़ रुपये का ऋण राज्य विद्युत मंडल को स्वीकृत किया है। विद्युत मण्डल द्वारा लीजिंग के माध्यम से प्रथम चरण में 275 करोड़ व द्वितीय चरण में 417 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। समय पर भुगतान करने के फलस्वरूप अब विद्युत मण्डल को उसके द्वारा चाहे गये सामान की आपूर्ति कम मूल्य पर हो रही है। विद्युत मण्डल ने प्रशासन का विकेन्द्रीकरण भी किया है। पिछले वर्ष उपभोक्ताओं को 15.40 अरब यूनिट बिजली उपलब्ध कराई गई। चालू वर्ष में 17.68 अरब यूनिट बिजली उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है।

35. राज्य में निजी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पादन होने की स्थिति में विद्युत मण्डल द्वारा उन्हें क्रय की गई ऊर्जा का अनुबंध के अनुसार भुगतान करना होगा। विद्युत मण्डल कई स्रोतों जैसे पन-बिजली, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि से बिजली खरीदेगा और उसे घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, उद्योग आदि से संबंधित उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायेगा। अतः यह आवश्यक हो गया है कि एक स्वतन्त्र नियंत्रक विद्युत मण्डल के खर्चों व लागत को देखे, उपभोक्ताओं का पक्ष सुने तथा विद्युत दर के बारे में अपनी अनुशंसा करे। सरकार इस बारे में विधान सभा के आगामी सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

36. अधिक वर्षा, खाद की खपत बढ़ने, प्रामाणिक बीजों की विशेष खपत आदि के कारण इस वर्ष 106 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन सम्भावित है। तिलहन का 35 लाख टन कीतिमान उत्पादन होने की आशा है। इसी प्रकार कपास का अनुमानित उत्पादन 10 लाख टन गांठों का है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। प्रदेश में रासायनिक खाद की खपत पिछले वर्षों में काफी तेजी से बढ़ी है। जहां 1990-91 में प्रदेश में 6 लाख टन रासायनिक खाद की खपत होती थी वहीं इस वर्ष 12 लाख टन रासायनिक खाद की खपत होगी। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान द्वारा रासायनिक खाद की खपत की यह अर्जित वृद्धि देश के अन्य किसी भी प्रदेश की वृद्धि दर से अधिक है। पानी के कुशल उपयोग के लिए पिछले वर्ष 12,500 फव्वारा सैट लगाये गये थे। इसकी तुलना में इस वर्ष लगभग 20,000 फव्वारा सैट लगाये जा चुके हैं।

37. कृषि विपणन क्षेत्र में कई सुधार किये गये हैं। मण्डी व्यापारियों को स्थायी

(अभिभाषण)

लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है। अब उन्हें लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सी व डी श्रेणी की कमजोर मंडियों में धन की कमी से पहले विकास कार्य नहीं हो पाते थे। इन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय कोष की स्थापना की गई है जिसमें बड़ी मण्डियों से अंशदान के रूप में धन राशि लेकर कमजोर मण्डियों में विकास कार्य कराये जाते हैं। मण्डी शुल्क से चालू वर्ष में 100 करोड़ रुपये की आय सम्भावित है जबकि पिछले वर्ष 90 करोड़ रुपये की आय हुई थी। कृषि विपणन बोर्ड ने राजस्थान से उत्पादित किन्नू को श्रीलंका, सऊदी अरब व इंग्लैण्ड निर्यात करके गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के किसानोंके लिए विकास का अब एक नया द्वार खोला है। राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम ने पिछले वर्ष 1.46 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। प्रबन्ध सुधार के कारण इस वर्ष निगम को 3 करोड़ रुपये का लाभ होने की सम्भावना है।

38. किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्राथमिकता दी गई है तथा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु राजस्थान जल संसाधन विकास परियोजना बनाने का कार्य प्रगति पर है। आलोच्य वर्ष में 73598 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। 15 लघु सिंचाई योजनाएं पूरी की जायेंगी। हनुमानगढ़ में बाढ़ की पुनरावृत्ति रोकने के लिए घग्घर नदी के पेटे के रेखांकन के बारे में एक अधिसूचना जारी की गई ताकि भविष्य में नदी के पेटे के इस क्षेत्र में अवरोधों को खड़ा करने पर रोक लग सके।

39. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में वितरक नहरों पर कार्य चल रहा है। इस वर्ष पानी गडरा रोड की उपशाखा की बुर्ज 80 तक पहुंच चुका है।

40. सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में दिसम्बर, 1995 तक 45.71 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। सिंचाई जल वितरण व्यवस्था में लाभान्वितों की भागीदारी उपलब्ध करने के विशेष प्रयास किये गये। कई स्थानों पर अनधिकृत मोगे हटाये गये तथा बड़े मोगों का आकार छोटा किया गया जिसके फलस्वरूप जवाई परियोजना तथा चम्बल परियोजना में कई स्थानों पर अंतिम छोर के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हो सकी। सहभागी सिंचाई प्रबन्ध व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक स्थायी उच्च स्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया गया। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास कार्य की गति देने के लिए अतिरिक्त तकनीकी स्टॉफ स्वीकृत किया गया जिससे इस वर्ष की तुलना में अगले वर्ष और अधिक तेजी से काम हो सकेगा।

41. माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि देश में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसे पिछले 3 वर्षों में लगातार जलग्रहण विकास व वर्षा आधारित कृषि विकास के लिए निरंतर राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया है। इस वर्ष अलवर व चित्तौड़गढ़ जिलों में स्विस विकास अभिकरण की सहायता से जलग्रहण विकास की एक नई

(अभिभाषण)

योजना प्रारम्भ की गई है। जलग्रहण विकास योजना पर चालू वर्ष में 90 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

42. सहकारी संस्थाओं से सरकारी नियंत्रण हटाने तथा उन्हें स्वयं पल्लवित होने का अवसर देने के उद्देश्य से ऐसी सहकारी समितियों को राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के मुख्य प्रावधानों से छूट दे दी है जिन्होंने राज्य सरकार से कोई हिस्सा पूंजी नहीं ली है या राज्य सरकार ने उनको ऋण लेने के लिए गारंटी नहीं दी है। ऐसी संस्थाएं अब स्वनियंत्रित होंगी। वे अपने चुनाव स्वयं करायेंगी। व्यवसाय में यदि उन्हें कोई हानि होती है तो उसका भार सदस्य वहन करेंगे। आडिट की व्यवस्था भी संस्थाएं स्वयं करेंगी। गृह निर्माण सहकारी समितियों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है।

43. कारोबार में वृद्धि तथा बेहतर प्रबन्ध के कारण राजफैड, स्पिनफैड, शीर्ष सहकारी बैंक, राजस्थान भूमि विकास बैंक व केशोरायपाटन शुगर मिल्स द्वारा चालू खाते में वार्षिक लाभ अर्जित किया गया है। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन द्वारा विशेष पुरस्कार दिया गया है। किसानों को इस वर्ष अब तक 380 करोड़ रुपये के अल्पकालीन व 125 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराये गये हैं।

44. पशु चिकित्सा में व्यापक क्षेत्र में सुविधाएं देने के लिए इस वर्ष 127 नये पशु चिकित्सालय खोले गये। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पशुओं की नस्ल सुधार की विशेष व्यवस्था की गई। गोवंश संरक्षण के उद्देश्य से गोवंश वध तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु राजस्थान गोवंश अधिनियम बनाया गया। गोवंश संरक्षण एवं विकास हेतु राजस्थान गो सेवा आयोग का गठन भी किया गया।

45. इस वर्ष जापान सरकार की सहायता से राज्य के 14 जिलों के लिए 139.18 करोड़ रुपये की लागत की एक नई वन विकास योजना लागू की गई। राज्य में जापान की सहायता से 284.34 करोड़ रुपये के लागत की दो परियोजनाएं पहले से क्रियान्वित की जा रही है। इस वर्ष वन विभाग द्वारा 95.157 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया तथा 3.80 करोड़ पौधों का वितरण किया गया जो निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है।

46. उदयपुर शहर की पिछौला झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। इसके विकास पर होने वाले व्यय का आधा व्यय राज्य सरकार व आधा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। कोटा से केशोरायपाटन तक 15 कि. मी. की लम्बाई में चम्बल नदी के प्रदूषित जल को स्वच्छ करने का एक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तथा राज्य सरकार की 50 प्रतिशत अंशदान अपनी ओर से देने की सहमति केन्द्रीय सरकार को भिजवा दी गई है।

47. नई औद्योगिक नीति बनने के बाद उद्यमियों की राजस्थान में उद्योग लगाने की अभिरूचि विशेष रूप से बनी है। सीतापुरा (जयपुर) में 365 एकड़ में निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क का कार्य प्रारम्भ

(अभिभाषण)

करवाया गया। गैर कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण गैर-कृषि विकास नीति की घोषणा जून, 1995 में की गई, जिससे चर्म उद्योग, ऊन उद्योग तथा खनिजों पर आधारित लघु उद्योग विशेष रूप से लग सकेंगे तथा प्रदेश के संसाधनों का समुचित उपयोग हो सकेगा। इस वर्ष लघु उद्योगों के पंजीयन में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रीको द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक ऋण, वितरित किये गये। राजस्थान वित्त निगम ने चालू वर्ष में 110.58 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जो पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है। रीको द्वारा 1717 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकसित की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी है।

48. नई खनिज नीति से प्रदेश में खनन विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में अतिरिक्त निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं ताकि खनिजों की खोज तथा दोहन के कार्य में और गति आ सके। राज्य में ताम्बा, जस्ता, सीसा जैसे आधारभूत खनिजों एवं सोने के सर्वेक्षण एवं खनन में विदेशी कम्पनियों ने रूचि दिखाई है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने बी. एच. पी नामक मशहूर विदेशी कम्पनी से हवाई सर्वेक्षण के लिए समझौता किया है और भारत सरकार से इसके लिये अनुमति मांगी है। जैसलमेर के खिंया-खींवसर क्षेत्र में तीन बड़े सीमेन्ट प्लांट लगाने हेतु स्थान अधिसूचित किये गये हैं। पूर्व में घोषित क्षेत्रों के साथ जैसलमेर में अब पांच बड़े सीमेन्ट प्लांट स्थापित हो सकेंगे। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हर चौथे वर्ष बैंगलोर में होने वाली स्टोना 96 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में इस बार 35 पारितोषिकों में से 14 पारितोषिक राजस्थान को मिले। यहां के खनिज पत्थर का व्यापक प्रचार एवं प्रसार हुआ है जिससे आगामी वर्षों में राजस्थान से खनिजों का निर्यात और बढ़ेगा।

49. इस वर्ष प्रदेश में बून्दी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, झालावाड़, पाली व बारां में कन्या महाविद्यालय खोले गये तथा अलवर जिले की बीबीरानी में एक सहशिक्षा महाविद्यालय खोला गया। सवाई माधोपुर, शाहपुरा, सुजानगढ़ व कालाडेरा के महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर तक क्रमोन्नत किया गया। नोखा, पीपाड़ शहर व मेड़ता में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भवन बनाकर उपलब्ध कराने व महाविद्यालय संचालन हेतु कुछ समय के लिये आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय देने की शर्त पर महाविद्यालय खोलने हेतु अनुबन्ध किया गया है।

50. प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये छात्रों को 5वीं कक्षा तक तथा छात्राओं को 8वीं कक्षा तक निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत इस वर्ष 57.30 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए और 13.21 करोड़ रुपये खर्च हुए। एक करोड़ रुपये के विनियोग से बालिका कोष की स्थापना की गई।

51. शिक्षित महिलाएं, छात्रों तथा अपनी सुविधा से अपने घरों में आंगन शालाएं चला सकें, इसके लिये सरस्वती

(अभिभाषण)

योजना लागू की गई। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये लोक जुम्बिश परियोजना का 42 विकास खण्डों तथा शिक्षाकर्मी योजना का 85 विकास खण्डों में विस्तार किया गया।

52. तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में सामान्यतया पूरे समय के लिये पढ़ने वाले छात्रों को ही पढ़ाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिये, जो गरीबी के कारण पूरे समय नहीं पढ़ पाते या जो स्वरोजगार करते हैं और अंशकालीन पढ़ाई से तकनीकी कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, आज प्रशिक्षण की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। अतः सरकार अगले वर्ष उनके लिये तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में सायंकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी।

53. राजकीय शिक्षण संस्थाओं के भवनों का सायंकालीन कोई उपयोग नहीं होता। यदि कोई निजी शिक्षण संस्था इन भवनों का उपयोग सायंकालीन शिक्षण संस्था चलाने हेतु करना चाहे तो सरकार उन्हें अनुमति देने पर विचार करेगी ताकि इन भवनों के अधिक उपयोग से शिक्षण सुविधाओं में वृद्धि हो सके।

54. प्रदेश में इस वर्ष 89 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 700 उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले गये। चिकित्सालयों, उपकेन्द्रों आदि के भवन निर्माण का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया गया। 9 उपखण्ड मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की क्षमता 30 शैयाओं से बढ़ाकर 50 शैयाओं की की गई। राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ित रोगियों की तात्कालिक चिकित्सा व्यवस्था के लिये महुआ, फतेहपुर एवं देवली में दुर्घटना चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की गई। हनुमानगढ़ चिकित्सालय की क्षमता 100 शैयाओं से बढ़ाकर 150 शैयाओं की कर दी गई।

55. राज्य की पल्स पोलियो अभियान की सफलता इस वर्ष की विशेष उपलब्धि रही है। इसके फलस्वरूप अब हम पोलियो सरीखी व्याधि से प्रदेश को मुक्ति दिला सकेंगे। इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को तथा राज्य की जनता को मैं बधाई देता हूं।

56. निजी क्षेत्र ने भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में विशेष योगदान दिया है। सरकार ने निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु एक नीति बनाई है जिसके अनुसार सुपर स्पेशलिटी तथा अन्य चिकित्सालयों हेतु रियायती दर पर भूमि का आबंटन किया जायेगा। उपकरणों पर बिक्री कर तथा चुंगीकर में छूट दी जायेगी।

57. पिछले वर्ष हमने सामाजिक विपणन पद्धति के आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया। टोंक व दौसा जिले में विकल्प कार्यक्रम चालू किया गया है। सारे राज्य में प्रजनन योग्य दम्पतियों का सर्वेक्षण करवाया गया है और उन्हें उनकी इच्छानुसार परिवार कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। दो सन्तानों के बाद नसबन्दी कराने वाले दम्पतियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये एक पेन्शन योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत पुत्र की मृत्यु होने या पुत्र नहीं होने की स्थिति में

(अभिभाषण)

ऐसे दम्पतियों को वृद्धावस्था पेन्शन दी जा सकेगी।

58. पेयजल व्यवस्था पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पिछले वर्ष पेयजल पर हुए 603.00 करोड़ के खर्च की तुलना में इस वर्ष 666.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। जोधपुर के महामन्दिर क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये खर्च कर मल निस्सारण योजना की शुरूआत की गई। उदयपुर शहर को झामरकोटड़ा खदान क्षेत्र से पानी देने के लिये 7.60 करोड़ रुपये की एक योजना पर काम चालू है। जर्मनी की सहायता से चूरू व हनुमानगढ़ जिलों के कुछ गांवों के लिये स्वीकृत पेयजल योजना पर इस वर्ष दिसम्बर तक 12.20 करोड़ रुपये खर्च किये गये। मार्च तक इस योजना पर 16.25 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

59. सड़क नीति के अनुसार प्रदेश में 1000 की आबादी के गांवों व पंचायत मुख्यावासों को सड़कों से जोड़ने का कार्य कराया जा रहा है। इस वर्ष 410 गांवों तथा 600 पंचायत मुख्यावासों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। सड़कों के निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार द्वारा निर्माण संचालन एवं हस्तांतरण की नई नीति बनाई गई और इस नीति के अन्तर्गत खुली निविदाओं के आधार पर 65 करोड़ रुपये की लागत के पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर बाईपास के निर्माण तथा करौंति पुल के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त हुडको की सहायता से राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से 135 करोड़ रुपये की लागत के कार्य सम्पादित करवाये जा रहे हैं। इनका निर्माण व्यय पथ अधिभार लगाकर वसूल किया जायेगा।

60. मुझे माननीय सदस्यों को बताते हुए प्रसन्नता है कि विधान सभा के नये भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 16.50 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इस भवन पर 77 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस वर्ष इस भवन के निर्माण पर 15 करोड़ रुपये व्यय होंगे। सरकार का प्रयास है कि वर्तमान विधान सभा का अन्तिम सत्र इसी भवन में आयोजित किया जाये। यह भवन राजस्थान के वास्तुशिल्प के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। अपने आप में यह एक दर्शनीय स्थल होगा।

61. पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर उसमें सुधार के उपायों तथा राज्य द्वारा उन्हें अधिक वित्तीय सहायता देने के बारे में अनुशंसा करने के लिये सरकार ने 30-4-94 को श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग का गठन किया था। इस आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। राज्य सरकार द्वारा इसी सत्र में यह रिपोर्ट, सरकार की ओर से की जाने वाली कार्यवाही की सूचना के साथ सदन में प्रस्तुत कर दी जायेगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं को इस वर्ष 6.28 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त 11 करोड़ रुपये का अनुदान सड़क एवं पानी निर्माण एवं सुधार के लिये व 3 करोड़ की सहायता बाढ़ राहत कार्यों के लिये दी गई। 135 नगरपालिकाओं के चुनाव 1995 में कराये गये जिनमें

(अभिभाषण)

महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिला। इससे प्रदेश में जनतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। लघु एवं मध्यम कस्बों की विकास योजना में प्रदेश के 36 शहरों का चयन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नोखा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, कपासन, उदयपुर एवं बीकानेर की योजनाएं भी भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाई गई हैं। अगले वर्ष 6 और नये नगरों की योजनाएं तैयार की जायेंगी।

62. आवासन मण्डल द्वारा इस वर्ष 48.50 करोड़ की लागत के मकानों का निर्माण किया गया, 4455 लोगों को मकान आवंटित किये गये व 5223 लोगों को मकान का कब्जा दिया गया। पिछले वर्ष विशेष अभियान चलाकर गृह निर्माण समितियों की 149 योजनाओं में 18.591 भूखण्डों का नियमन किया गया। शेष योजनाओं के नियमन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन पर सरकार द्वारा विचार किया जाकर अगले वर्ष इस दिशा में और प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ताकि वर्षों से लम्बित इस समस्या का संतोषजनक समाधान हो सके। राजकीय भूमि पर 1-1-91 तक बनी अवैध कच्ची बस्तियों के नियमन करने का सरकार ने सिद्धांततः निर्णय ले लिया है। सहभागी नगर विकास योजना के अन्तर्गत अब तक 20 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इसी राशि के बराबर धनराशि स्थानीय व्यक्तियों तथा नगरपालिकाओं से सामुदायिक विकास कार्यों के लिये उपलब्ध हुई है।

63. राज्य के 178 विकास खण्डों में 25470 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से चालू वर्ष 17.55 लाख बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किये जाने का अनुमान है। इस वर्ष 10 नये विकास खण्डों में एवं बीकानेर शहर में समेकित बाल विकास सेवाओं का विस्तार किया गया। 1000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अगले वर्ष पोषाहार कार्यक्रम को राज्य के सभी विकास खण्डों में लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। राज्य में 21 जिलों में चलाये जा रहे महिला विकास कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है और इस समीक्षा के आधार पर शेष जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार करने पर सरकार विचार करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बच्चों के विकास की ड्वाकरा योजना के अन्तर्गत 144 पंचायत समितियों में 4429 समूहों का गठन कर 58199 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

64 राजधानी क्षेत्र विकास के नये कार्यक्रम के अन्तर्गत 96.90 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई हैं। इस राशि से जयपुर के पास स्थित कस्बों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी ताकि जयपुर में बढ़ती आबादी का दबाव कम हो सके।

65. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्तरराष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन एवं वित्त विभाग की समस्त चौकियों को समाप्त कर दिया है। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाएं हम सबके लिये चिन्ता का विषय है। इन घटनाओं को रोकने के लिये संयुक्त सघन चैकिंग दल बनाये गये हैं। निजी क्षेत्र

(अभिभाषण)

परिवहन चालकों के प्रशिक्षण के लिये अजमेर में विशेष व्यवस्था की गई है। जयपुर तथा जोधपुर में भी चालकों के प्रशिक्षण, संस्थान स्थापित किये जायेंगे। परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना बनाई गई है। वाहन जनित वायु प्रदूषण रोकने के लिये पैट्रोल पम्पों पर प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित किये गये है।

66. राजस्थान पथ परिवहन निगम इस वर्ष भी लाभ की स्थिति में रहेगा। लाभ में चलने वाले देश के गिने-चुने परिवहन निगमों में इस निगम की गिनती होती है। परिवहन विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा नई नीति बनाई जा रही है, जिसको शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा।

67. राजस्व प्रशासन राज्यप्रशासन का मेरुदण्ड है लेकिन गैर-आयोजना विभाग होने के कारण इसके सुदृढ़ीकरण पर पहले समुचित ध्यान नहीं दिया था। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्व प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 5 अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, 10 उपखण्ड, 17 सहायक जिला कलक्टर न्यायालय, 5 नवीन तहसील, 11 क्रमोन्नत तहसील एवं 15 नई उप तहसीलें खोली गई हैं। एक वर्ष में राजस्व कार्यालयों का इतना बड़ा विस्तार पिछले चार दशकों में कभी नहीं हुआ। राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये अजमेर में राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की इस वर्ष स्थापना की गई। 10 जिलों में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की तैयारी का कार्य चल रहा है। इस वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि किसानों की पास बुकों को अद्यतन करने व नई पास बुकें वितरण करने की रही। चूंकि पास बुकों का दर्जा जमाबंदी के बराबर कर दिया गया है अतः किसानों को भविष्य में भू-अभिलेखों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। वे इन पास बुकों के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उनके खाते की जमाबंदी के समकक्ष पास बुक उनके पास है यह बात उनको एक विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगी। जमाबंदी के समतुल्य पास बुकों के माध्यम से किसानों को अधिकार देने वाले राज्यों में राजस्थान अग्रणी है। इस वर्ष किसानों को 9 लाख नई पास बुकें दी गई तथा 9.30 लाख पुरानी पास बुकों को अदिनांक किया गया।

68. विरासत के नामांतरण खुलवाने में किसानों को परेशानी आती है और उन्हें बार-बार राजस्व कर्मचारियों के पास जाना पड़ता है अतः यह निर्णय लिया गया है कि किसान अब विरासत के नामांतरण खुलवाने हेतु सीधे ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र दे सकेगा और ग्राम पंचायत के निर्देश देने पर पटवारी के लिये जांच-पड़ताल कर विरासत का नामांतरण एक माह में खोलना अनिवार्य होगा।

69. राज्य कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित मामले न्यायालय में वर्षों से लम्बित रहते हैं। इन मामलों को आपसी चर्चा से सुलझाने के लिये सरकार ने समझौता समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। न्यायालय में लम्बित मामले पर आपसी समझौते से निर्णय करने का कर्मचारी से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर समझौता समिति सम्बन्धित कर्मचारी तथा विभाग का पक्ष सुनकर सरकार को मामला

52

(अभिभाषण)

निपटाने के लिये अपनी अनुशंसा देगी जिस पर प्राथमिकता से निर्णय लिया जायेगा। न्यायालय में जाने से पहले भी कर्मचारी अपना मामला इस समिति के समक्ष उठा सकेंगे।

70. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से राज्य सरकार ने इस वर्ष 492 भूतपूर्व सैनिकों को भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से 500 मीटर की पट्टी छोड़कर उसके आगे से डेढ़ कि. मी. के क्षेत्र में 9686 बीघा भूमि आबंटित की है।

71. 60 प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों के विकास हेतु योजना बनाई गई है। इस वर्ष एक करोड़ रुपये की लागत से 6 मन्दिरों के जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया गया है। इस कार्य का अगले वर्ष और विस्तार किया जायेगा।

72. इस वर्ष राज्य को प्राप्त कैरोसिन के कोटे में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि करवाई गई। इससे उपभोक्ताओं को अधिक कैरोसिन मिल सकेगा। उचित मूल्य की दुकानों से आयोडिकृत नमक का वितरण प्रारम्भ किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं की मात्रा सामान्य क्षेत्रों में 10 किलोग्राम से 15 किलोग्राम एवं चयनित क्षेत्रों में 15 किलोग्राम से 20 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह की गई तथा निर्धन उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान की गई। उक्त मात्रा को माह में एक बार के स्थान पर कई बार कम से कम 2 किलोग्राम तक क्रय कर सकते हैं। प्राथमिक शालाओं के लिये दोपहर का भोजन योजना के अन्तर्गत भी गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जा रहा है। उदारीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत लाइसेंस प्रणाली को सरल किया गया तथा निरीक्षकों की भूमिका का भी पुनः आंकलन किया गया। अब राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञा एवं नियंत्रक आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस एक वर्ष की बजाय 20 वर्ष के लिये जारी किये जायेंगे और उनका नवीनीकरण भी इसी अवधि के लिए होगा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में डीजल बैरल पाइंट विद्यमान पैट्रोल पम्प से 10 कि. मी. से अधिक दूरी पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।

73. आलोच्य वर्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था में काफी सुधार किये गये हैं। इन छात्रावासों से 20281 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। छात्र-छात्राओं का मैस भत्ता 250/– से बढ़ाकर 350/– रु. कर दिया गया। रसोइयों का अंशकालीन भत्ता भी बढ़ाकर 600/– रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। लगभग 5.5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस वर्ष विशेष प्रयास कर लगभग 25000 विकलांगों को लाभान्वित किया गया। इस कार्य में राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती है।

74. जनजाति क्षेत्रों में जनजाति के स्थानीय व्यक्तियों का वाहन चालक, वनरक्षक, अध्यापक (तृतीय श्रेणी), पुलिस कान्सटेबल, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ग्राम स्तरीय पदों के लिये आरक्षण कोटा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया गया। स्वरोजगार बढ़ाने के लिये

(अभिभाषण)

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

75. राज्य में इस समय 8414 इकाइयां कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं जिनमें 2.91 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होता है। इनके निरीक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है। नियमों के उल्लंघन के कारण 69 कारखानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई। व्यवसायजनित बीमारियों से श्रमिकों की सुरक्षा हेतु एक औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

76 बाल श्रम समस्या के उन्मूलन हेतु बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया। प्रदेश में औद्योगिक शांति की स्थिति पिछले वर्ष से बेहतर रही। 1994–95 में 4.46 लाख मानव दिवसों की हानि की तुलना में इस वर्ष 3.44 लाख मानव दिवसों की हानि हुई। औद्योगिक अशांति के कारणों का समय पर समाधान किया गया।

77. रोजगार कार्यालयों द्वारा 1.62 लाख आशार्थियों का पंजीयन किया गया। रोजगार सहायता हेतु 781 रोजगार शिविर लगाये गये तथा 7389 आशार्थियों को स्वरोजगार हेतु ऋण लेने तथा स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में मदद दी गई।

78. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में बजट प्रस्ताव, अनुपूरक अनुदान मांगों व लेखानुदान के अतिरिक्त निम्न विधेयक व प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(1) राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996

(2) राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996

(3) मोटरयान (राजस्थान संशोधन), 1996

(4) राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996

(5) राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996

(6) भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1994–95

(7) राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर की गई कार्यवाही का उपस्थापन

79. बदलती सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था एवं उदारीकरण के वर्तमान दौर में हमें राज्य के विकास के लिये उपलब्ध अवसरों का न केवल पूरा लाभ उठाना होगा बल्कि अपनी ओर से भी विकास की गति बढ़ाने के भरसक प्रयास करने होंगे। देश के मानचित्र पर तेजी से उभरते राजस्थान के परिदृश्य को हमें और अधिक सुस्पष्ट करना होगा। उद्यमी, सरकार, श्रमिक, किसान, राज्यकर्मी, चिन्तक व राजनैतिक कार्यकर्ता, सभी मिलकर एक नये राजस्थान का निर्माण के लिये सामूहिक प्रयास करें तो निश्चय ही प्रदेश का कुछ वर्षों में कायाकल्प हो सकता है। आर्थिक उदारवाद के साथ-साथ हमें सभी वर्गों के हितों का भी संरक्षण करना है। नये राजस्थान के निर्माण के लिये श्रम, उद्यमिता एवं कौशल का पूरा उपयोग करना है। विकास का जो सपना आप सबने लम्बे समय से संजोया है वह अब पूरा हो रहा है।

(अभिभाषण)

80. प्रदेश की राजनीति सामंजस्य की राजनीति रही है। सदन में तथा सदन के बाहर लिये गये निर्णय पर राजनैतिक दलों में आपसी चर्चा होती है एवं चर्चा के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं। इस संस्कृति का उल्लेख देश के कई राज्यों में आदर के साथ किया जाता है। सामन्जस्य की संस्कृति की यह विद्यमानता प्रदेश के लिये हितकारी है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहायक हों।

81. आप सब राज्य की समस्त जनता के अभ्युदय के लिये निरन्तर प्रयासरत हैं। आपके ये प्रयास भरपूर सफलता प्राप्त करें तथा राज्य की खुशहाली में निरन्तर अभिवृद्धि हो। इस कामना के साथ महाकवि कालिदास के शब्दों में मैं यह शुभाकांक्षा आपको समर्पित करता हूं :

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु।
सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु।।

राज्य के सभी निवासी उन्नति के मार्ग में आने वाली घाटियों को सरलता से पार करें, सभी भरपूर खुशहाली के दिन देखें। सबकी आकांक्षाएं फलीभूत हों। सर्वत्र सभी प्रसन्न और प्रमुदित रहें।

।। जय हिन्द ।।